बिहार सरकार

वित्त विभाग

# बिजेन्द्र प्रसाद यादव

वित्त मंत्री, बिहार

# बजट भाषण

2026-27

**माननीय अध्यक्ष महोदय,**

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य का वार्षिक आय–व्ययक (बजट) अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं बिहार की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस सरकार को पुनः अपना जनादेश प्रदान किया है, जिससे बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं समावेशी विकास वाला विकसित राज्य बनाने के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा मिली है।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट वर्ष 2025–26 में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, आई०आई०टी० पटना के विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, हवाई अड्डा विकास एवं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मिले सहयोग हेतु मैं राज्य की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन देने हेतु राज्यों को प्रदान की गई ब्याज–मुक्त ऋण सहायता ने बिहार की विकास परियोजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सशक्त आधार प्रदान किया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार के समक्ष बिहार की बात प्रभावी ढंग से रखने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, बिहार की प्राथमिकताओं को महत्त्व देते हुए, राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप राज्य को विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह साझा संकल्प विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को मजबूती देगा तथा विकसित भारत की यात्रा में बिहार की भूमिका को सशक्त बनाएगा।

महोदय, एक तरफ जहाँ भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। वर्ष 2025–26 के लिए अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी।

महोदय, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिहार सरकार ने सात निश्चय–1 और सात निश्चय–2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। अब सात निश्चय–3 (वर्ष 2025–2030) के संकल्प के साथ बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संकल्प के अंतर्गत राज्य के प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना, एक करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब तक 1 करोड़ 56 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10,000 (दस हजार) रुपये की सहायता दी जा चुकी है। साथ ही, उनके

व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 (दो) लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

जाति आधारित जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के माध्यम से सशक्त बनाने का संकल्प है। साथ ही, हाट–बाजार के विकास से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों में 50 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश आकर्षित करने, चौथे कृषि रोडमैप से किसानों की आय बढ़ाने, मखाना उत्पादन, डेयरी उद्योग और मत्स्य एवं पशुपालन को प्रोत्साहित करने, प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज स्थापित करने, जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी स्तर तक ले जाने, पाँच नए एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा विस्तार करने, शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने तथा पर्यटन और खेलों को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने को लेकर सरकार संकल्पित है।

**''सबका सम्मान–जीवन आसान''** (Ease of Living) के अंतर्गत बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उनके घर पर उपलब्ध कराएगी और संपत्ति पंजीकरण की सुविधा भी घर पर ही प्रदान करेगी, जिससे सभी नागरिकों का जीवन सरल, सम्मानजनक और सुरक्षित बनेगा।

महोदय, पिछले एक दशक में बिहार ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपने विकास के आधार को सशक्त किया है। कृषि क्षेत्र में हमारा राज्य देश में अग्रणी है। भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85 प्रतिशत और लीची का 23 प्रतिशत बिहार में उत्पादन होता है। साथ ही, सब्जी एवं मक्का उत्पादन में भी राज्य शीर्ष उत्पादकों में शामिल है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई क्षमता का विस्तार करते हुए प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 70.5 प्रतिशत तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 75.2 प्रतिशत भूमि को आच्छादित किया गया है। आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है, ग्रामीण सड़कों की लंबाई वर्ष 2015–16 के 64,205 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 1.19 लाख किलोमीटर हो गई है, जिससे बिहार देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले राज्यों में शामिल हो गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बिहार अभाव की स्थिति से निकलकर उपलब्धता की ओर बढ़ा है और प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2015 में 203 kWh से बढ़कर वर्ष 2025 में 374 kWh हो गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर कल्याणकारी व्यय तीन गुना बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप संस्थागत प्रसव में 76.2 प्रतिशत की वृद्धि और मातृ मृत्यु अनुपात में 61 अंकों की कमी आई है, जबकि प्राथमिक नामांकन 70 प्रतिशत से ऊपर बना हुआ है तथा विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से उच्च शिक्षा की क्षमता का विस्तार हुआ है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जीविका के तहत 11 लाख 45 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 40 लाख परिवार जुड़े हैं और 91 लाख सदस्यों को बीमा कवरेज मिला है। ये सभी उपलब्धियाँ बिहार की सतत प्रगति को दर्शाती हैं और इस बजट के अंतर्गत समावेशी एवं टिकाऊ विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं।

महोदय, बिहार का बजट आकार पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो वर्ष 2004–05 के 23,885 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2026–27 में 3,47,589.76 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। यह वृद्धि राज्य की विकास, अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाती है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए बिहार को केंद्र सरकार से सतत् और सशक्त सहयोग की अपेक्षा है जिसमें पर्याप्त कर–बंटवारा, केंद्र प्रायोजित स्कीमों हेतु अधिक वित्तीय आवंटन, बड़े अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता के साथ–साथ राज्य की बाढ़ और सुखाड़ जैसी संरचनात्मक चुनौतियों के समाधान हेतु नदियों के परस्पर जोड़ जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में केंद्रीय सहयोग अपेक्षित है। ऐसा सहयोग बिहार की विकास यात्रा को नई गति देगा और जल प्रबंधन, कृषि उत्पादकता तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करेगा एवं राज्य समावेशी विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ सकेगा तथा विकसित भारत के संकल्प के साथ समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य की ओर निर्णायक कदम रख सकेगा।

**माननीय अध्यक्ष महोदय,**

**इस दृष्टि और संकल्प के साथ अब मैं वर्ष 2026–27 का बजट का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।**

- वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य का बजट आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट आकार 3,16,895.02 करोड़ रुपये से 30,694.74 करोड़ रुपये अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2026–27 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 1,22,155.42 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान 1,16,750 करोड़ रुपये से 5,405.42 करोड़ रुपये अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434.34 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान 2,00,135.42 करोड़ रुपये से 25,298.92 करोड़ रुपये अधिक है।

- वर्ष 2026–27 में कुल व्यय में स्कीम व्यय 35.14 प्रतिशत तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 64.86 प्रतिशत है।

- वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल पूंजीगत व्यय 63,455.84 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है जो कि कुल व्यय का 18.26 प्रतिशत है, जिसमें–

- **पूंजीगत परिव्यय**– वर्ष 2026–27 में 39,377.06 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय

अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवाओं में 6,117.30 करोड़ रुपये, सामाजिक सेवाओं में 7,434.80 करोड़ रुपये एवं आर्थिक सेवाओं में 25,824.96 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

- **ऋण अदायगियाँ**– वर्ष 2026–27 में 22,664.83 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है, जिसमें 1,701.45 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार के ऋणों की है एवं 20,963.38 करोड़ रुपये की राशि पूर्व में लिये गये आंतरिक ऋणों से संबधित है।

- **ऋण एवं पेशगियाँ**– वर्ष 2026–27 में राज्य सरकार द्वारा 1,413.94 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 886.00 करोड़ रुपये, ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 347.37 करोड़ रुपये, बिजली परियोजना की कम्पनियों को कर्ज के लिए 82.07 करोड़ रुपये एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए 39.00 करोड़ रुपये दिया जाना है। पूर्व में दिये गये ऋणों की वापसी से राज्य सरकार को 536.01 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऋण 877.93 करोड़ रुपये दिया जाना प्रस्तावित है।

- वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल राजस्व व्यय 2,84,133.92 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 81.74 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान 2,52,000.26 करोड़ रुपये से 32,133.66 करोड़ रुपये अधिक है।

- वर्ष 2026–27 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 1,79,327.48 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसमें वेतन (सहायक अनुदान वेतन एवं संविदागत वेतन सहित) हेतु 96,128.50 करोड़ रुपये, पेंशन हेतु 35,170.48 करोड़ रुपये, ब्याज भुगतान हेतु 25,363.67 करोड़ रुपये एवं ऋण वापसी पर 22,664.83 करोड़ रुपये अनुमानित है।

- वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2,85,277.12 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान 2,60,831.44 करोड़ रुपये से 24,445.68 करोड़ रुपये अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के अपने स्त्रोतों से कर राजस्व के रूप में 65,800 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपये वाणिज्य कर, 10,000 करोड़ रुपये स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, 5,000 करोड़ रुपये परिवहन कर एवं 800 करोड़ रुपये भू–राजस्व से प्राप्त होगा।

- वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के अपने स्त्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 9,402.99 करोड़

रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान 8,220.57 करोड़ रुपये की तुलना में 1,182.42 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें खनन से 4,200 करोड़ रुपये, ब्याज प्राप्तियों से 2,570.08 करोड़ रुपये शामिल है।

- **ऋण उगाही**– वित्तीय वर्ष 2026–27 में 61,939.48 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 56,274.80 करोड़ रुपये, नाबार्ड से 2,500 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आवास बैंक से 1,000 करोड़ रुपये एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 200 करोड़ रुपये तथा बाह्य एजेंसियों यथा एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक इत्यादि से 1,964.68 करोड़ रुपये कुल 61,939.48 करोड़ रुपये का सकल (Gross) ऋण लिया जाना प्रस्तावित है।

- **16वें वित्त आयोग** की अनुशंसा की प्रत्याशा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु निर्धारित 7,893 करोड़ रुपये के अन्तर्गत राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) मद में 1,721 करोड़ रुपये, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 4,012 करोड़ रुपये एवं नगर निकायों के लिए 2,160 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

- **राज्य वित्त आयोग** की अनुशंसा की प्रत्याशा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थानीय निकायों को 8,718.33 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है जिसमें 5,194.09 करोड़ रुपये Devolution के रुप में तथा 3,524.24 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 8,718.33 करोड़ रुपये में पंचायती राज संस्थाओं को 5,666.92 करोड़ रुपये तथा शहरी स्थानीय निकायों को 3,051.41 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

- वर्ष 2026–27 में राजस्व अधिशेष 1,143.19 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में 39,111.80 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये का 2.99 प्रतिशत है।

## केन्द्र सरकार से प्राप्ति

- वर्ष 2026–27 में बजट अनुमान 1,58,178.32 करोड़ रुपये अनुमानित की गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 51,895.81 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। वर्ष 2026–27 में अनुमानित 51,895.81 करोड़ रुपये की मदवार राशि निम्नवत् है–

| क्र. | मदें | राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | **केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम** | **44,002.81** |
| **2** | **16वें वित्त आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में** | 7,893.00 |
| (क) | राज्य आपदा राहत कोष | 1,721.00 |
| (ख) | ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान | 4,012.00 |
| (ग) | शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान | 2,160.00 |
| | **कुल** | 51,895.81 |

**ऋण प्रबंधन**

- बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2024–25 के अन्त में कुल बकाया ऋण 3,74,133.50 करोड़ रुपये है जो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37.72 प्रतिशत है और यह 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित अधिसीमा 39.9 प्रतिशत के अधीन है।
- अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशि– अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के सीधे लाभ के लिए ही किया जा सके और राशि का व्यय अन्यत्र नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुसूचित जातियों के लिए 19,603.02 करोड़ रुपये एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 1,648.42 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है।

**सर्वाधिक खर्च**

वर्ष 2026–27 में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर 68,216.95 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। ग्रामीण विकास पर 23,701.18 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य पर 21,270.40 करोड़ रुपये, गृह विभाग हेतु 20,132.87 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 18,737.06 करोड़ रुपये, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग का 18,716.97 करोड़ रुपये एवं समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित कल्याण विभागों का समेकित बजट अनुमान 13,202.38 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

**अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य सरकार के विभागों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी सदन के पटल पर रखता हूँ।**

**कृषि विभाग**

- बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की करीब 89 प्रतिशत आबादी गाँव में रहती है और लगभग 76 प्रतिशत जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य स्त्रोत कृषि एवं इससे संबंधित अन्य कार्य है। राज्य सरकार द्वारा कृषि रोडमैप के कार्यान्वियन के फलस्वरूप राज्य में वर्ष 2005 से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंतिम आकलन के अनुसार राज्य में कुल 326.62 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है जो अब तक का सर्वोच्च उत्पादन है।

- वर्ष 2024–2025 अन्तर्गत देश में बिहार राज्य का मखाना एवं लीची में प्रथम, मक्का उत्पादन में द्वितीय, शहद में चौथा, चावल उत्पादन में पाँचवा और गेहूँ उत्पादन में छठ्ठा स्थान रहा है।

- देश में उत्पादित मखाना का 85 प्रतिशत हिस्सा बिहार में उत्पादित होता है। भारत सरकार द्वारा किसानों को समर्थन देने और मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य में **"राष्ट्रीय मखाना बोर्ड"** का गठन किया गया है।

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के डेटाबेस का एक एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए कृषि विभाग के अधीन "डिजिटल कृषि निदेशालय" का गठन किया गया है।

- राज्य के सभी 38 जिलों में जलवायु–अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अन्तर्गत 3.00 लाख मिट्टी नमूनों का विश्लेषण करते हुए कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न जिलों में अनुमंडल स्तर पर 32 अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

- बिहार राज्य देश में मशरूम उत्पादन में अग्रणी है। वर्त्तमान में बिहार राज्य में 44,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है।

- किसानों को उनके उत्पाद पर अंतिम उपभोक्ता मूल्य का बेहतर हिस्सा दिलाने के उद्देश्य से भंडारण, अनुदानित दर पर गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, मूल्य संवर्धन, विपणन एवं प्रसंस्करण को प्राथमिकता देते हुए समेकित बाजार प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है।

- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक किसानों को अनुदान दिया जा रहा है तथा कृषि यांत्रिकरण को और सुदृढ़ करने के लिए **"ए0 आई0 युक्त यांत्रिक कृषि मिशन"** के गठन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

- राज्य सरकार के संकल्प अंतर्गत **"बिहार एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन"** का गठन कर शुरूआत में 1 (एक) लाख करोड़ रूपये का निवेश किया जाना है। साथ ही, प्रदेश भर में छँटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चैम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेन्टर आदि का निर्माण करना, चावल की सुगंधित किस्में जैसे–सोनाचूर, मोकरी, कतरनी, मर्चा का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट की स्थापना करना, श्री अन्न के उत्पादन को दोगुना करना, (एक्जोटिक) फलों जैसे–स्ट्रॉबेरी एवं ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाना तथा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करना है।

- राज्य को कृषि स्टार्ट अप का हब बनाने, जी०आई० (GI) टैग प्राप्त उत्पादों के विपणन हेतु एक समर्पित बाजार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण कृषि हाट के विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु **बिहार कृषि एक्सीलेरेशन मिशन** के गठन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

- राज्य के कुल 53 कृषि उपज बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास का कार्य किया जा रहा है। राज्य के 20 बाजार प्रांगण ई–नाम से जुड़ चुके है एवं 34 बाजार प्रांगणों को जोड़ा जाना है। राज्य में ग्रामीण हाटों के सर्वांगीण विकास हेतु पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है।

- राज्य सरकार के संकल्प अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरूआत की जायेगी। इसके अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 3000 रूपये अतिरिक्त राशि दी जायेगी।

- राज्य सरकार के सात निश्चय–3 (वर्ष 2025–2030) के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के संकल्प के अधीन दलहनी फसलों के कुल उत्पादन 3.93 लाख मीट्रिक टन को लगभग 11.27 लाख मीट्रिक टन, तेलहनी फसलों के कुल उत्पादन 1.24 लाख मीट्रिक टन को लगभग 4.81 लाख मीट्रिक टन, मक्का का कुल उत्पादन 66.02 लाख मीट्रिक टन को लगभग दोगुना 133.05 लाख मीट्रिक टन तथा फलों का आच्छादन 2.58 लाख हे0 से बढ़ाकर अगले 05 वर्षों में 3.60 लाख हे0 तथा कुल उत्पादन 383.91 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 679.19 लाख मीट्रिक टन करने एवं सब्जियों का कुल उत्पादन 180 लाख मीट्रिक टन को दोगुना कर 360 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है।

- **चतुर्थ कृषि रोडमैप (वर्ष 2023–28)** अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा बीज विकास, फसल विविधीकरण, दलहन एवं तेलहन मिशन, पौधा संरक्षण कार्यक्रम, बिहार जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, कृषि बाजार व्यवस्था सुधार कार्यक्रम, भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम, कृषि यांत्रिकरण, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, बागवानी विकास कार्यक्रम, कृषि

में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि प्रसार इत्यादि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जायेगा।

**डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग**

- राज्य दुग्ध, अंडा एवं मांस उत्पादन में लगातार बढ़ोत्तरी हासिल कर रहा है। वर्त्तमान में दुग्ध 133.98 लाख मीट्रिक टन, अंडा 378.39 करोड़ एवं माँस का उत्पादन 4.21 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मत्स्य उत्पादन बढ़कर 9.59 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इस प्रकार, बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मत्स्य की उपलब्धता 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर 12.21 कि०ग्रा० है। साथ ही, लगभग 2044 मिलीयन मत्स्य बीज का वार्षिक उत्पादन हुआ है।

- भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार, वार्षिक वृद्धि दर के आलोक में देश में बिहार राज्य का अंडा उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में चौथा स्थान, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में छठा स्थान एवं मांस उत्पादन के क्षेत्र में नौवां स्थान है।

- उन्नत नस्ल के बकरों के सीमेन से सीमेन स्ट्रॉ तैयार कर बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान कार्य को बढ़ावा देने हेतु **गोट सिमेन स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति,** बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत **"वन हेल्थ प्लेटफॉर्म"** के तहत महत्वपूर्ण जेनेटिक रोगों के लिए तीव्र नैदानिक परीक्षणों का मानकीकरण, जुनोटिक तपेदिक, ब्रुसेलोसिस, रेबीज आदि रोगों की सतत निगरानी हेतु **"वन हेल्थ प्लेटफॉर्म" की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।**

- पशुधन रोगों के निदान के लिए अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स–रे प्रणाली की योजना, 24X7 पशु चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध कराने वाले पशु चिकित्सालयों में पशुओं की गर्भ जाँच तथा पशु रोगों के सही एवं त्वरित निदान हेतु अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित किये जाने की योजना एवं राज्य में पशुओं में सीमेन एवं भ्रूण का उत्पादन, भंडारण, वितरण एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवा के लिए पशुओं में प्रजनन संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए **बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025** लागू किया गया है।

- राज्य के सभी वर्गों के कृषकों, बेरोजगार युवक–युवतियों को **"समग्र गव्य विकास योजना"** के तहत ऋण–सह अनुदान, स्वलागत पर डेयरी फार्मिंग योजना के माध्यम से सशक्तिकरण और उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित किया जा रहा है।

- कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence for Poultry Research and Training) की स्थापना, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्मों के सुदृढ़ीकरण एवं संचालन, एवियन इन्फ्लुएंजा, सीरो निगरानी इत्यादि कार्य प्रस्तावित

हैं। बकरी विकास योजना के तहत "बकरी प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान" की स्थापना, बकरी सीमेन स्टेशन की स्थापना, बकरी फेडरेशन का गठन इत्यादि कार्य प्रस्तावित हैं। सूकर विकास योजना के तहत सूकर प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना इत्यादि कार्य प्रस्तावित हैं।

- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय– 3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जायेगा। प्रत्येक गाँव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन तथा प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केन्द्र की स्थापना की जायेगी। साथ ही, 50 किलोलीटर प्रति दिन (KLPD) क्षमता के मधेपुरा शीतक केन्द्र की स्थापना के कार्य को पूरा किया जायेगा।

**सहकारिता विभाग**

- राज्य के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि० (PVCS) का गठन किया जा चुका है। प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियों के 55 हजार से अधिक सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बनाये गए है।
- सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु हल्दी प्रसंस्करण इकाई, डिहाइड्रेशन यूनिट की स्थापना, संरक्षित कृषि हेतु पॉली हाउस का निर्माण, निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेगा फूड पार्क, रेफ्रिजेरेटेड वाहन, जिला स्तर पर हब/मदर वेयर हाउस का निर्माण किया जाना एवं PVCS के सभी सदस्य किसान को सब्जी की खेती हेतु कौशल विकास क्षमतावर्धन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के अंतर्गत 114 प्रखंडों में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सब्जी हाट, मिनी कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग–ग्रेडिंग शेड एवं प्रबंधन कार्यालय शामिल होंगे।
- 200 प्रखंडो में 'तरकारी आउटलेट्स' की स्थापना की जा रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सब्जियाँ सुलभ कराई जाएगी। इसका शेष सभी प्रखंडों में विस्तार किया जाएगा।
- खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2025–26 अन्तर्गत दिनांक– 24.01.2026 तक कुल 6,841 समितियों के माध्यम से 2.42 लाख किसानों से 17.98 लाख मीट्रिक धान की अधिप्राप्ति की गई है।
- **सहकार भवन**– कुल 36 सहकार भवनों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 22 सहकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- **मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजनान्तर्गत** राज्य के सभी 8,463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने के लिए अब तक 2,972 पैक्सों का चयन किया गया है।

- अब तक 420 पैक्सों द्वारा जन औषधि केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन किया गया। साथ ही 46 पैक्सों द्वारा ड्रग लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें से 30 पैक्सों को ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। इन 30 पैक्सों में से 26 पैक्सों को स्टोर कोड प्राप्त हो चुका है तथा 24 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके है।

- **किसान उत्पादक संगठन (FPO)**– राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से राज्य के 21 जिलों के 100 चयनित पंचायतों में आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज के उचित मूल्य एवं कृषि इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पंचायत स्तरीय 100 किसान उत्पादक संगठन (FPO) का गठन किया गया है। सहकारी बैंक के स्तर पर 15 CBBO (Cluster Based Business Organisation) का गठन किया गया है, जिनके द्वारा FPO को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। FPO के माध्यम से पश्चिम चंपारण जिला में चनपटिया मिक्स एवं मरचा चुड़ा, भागलपुर जिला में बटन मशरूम, नालंदा में आँवला मुरब्बा, कटिहार में मखाना आदि का व्यवसाय प्रारंभ किया जा चुका है। साथ ही, कटिहार जिला के दक्षिणी भंडारतल FPO द्वारा मखाना आधारित उत्पादन का शुभारंभ किया गया है।

- **मत्स्यपालन** के क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी समितियों को बेहतर तकनीकी सहयोग एवं इनपुट उपलब्ध कराने तथा नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रमंडल/जिला स्तर पर संघ एवं राज्य स्तर पर परिसंघ का गठन किया जाएगा।

- **शहद उत्पादन** एवं विपणन के क्षेत्र में राज्य अंतर्गत 145 प्राथमिक समितियाँ प्रखंड स्तर पर गठित की गयी है। शहद प्रसंस्करण सुविधाएँ उपलब्ध कराने, उनकी ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग तथा मूल्य– वर्धित उत्पादों को तैयार करने एवं उनके विपणन में सहयोग करने के उद्देश्य से **"बिहार राज्य शहद प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि०"** का गठन किया गया है।

- **मधुबनी के सकरी एवं दरभंगा के रैयाम** में बंद पड़े चीनी मिलों की भूमि पर सहकारी चीनी मिल स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है।

**लघु जल संसाधन विभाग**

- **"जल–जीवन–हरियाली अभियान"** अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक 163 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है, जिसके क्रियान्वयन से भूगर्भ जल पुनर्भरण के परिणामस्वरुप भूगर्भ जल स्तर में सुधार हो रहा है। आहर–पईनों एवं तालाबों/पोखरों के मेढ़ पर वृक्षारोपण से हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

- **"मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना"** अंतर्गत लक्ष्य के अनुरुप कुल 35,000 अनुदान आधारित निजी नलकूपों का अधिष्ठापन किया गया है, जिससे लगभग 1,75,000 हे0 भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- **"हर खेत तक सिंचाई का पानी"** अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक 07 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से कुल 3,730 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होने के साथ–साथ भूजल स्तर में सुधार होगा।

**जल संसाधन विभाग**

- **"हर खेत तक सिंचाई का पानी"** अंतर्गत चयनित 604 योजनाओं में से 1,19,063 हे० क्षेत्र में सिंचाई के पुनर्स्थापन के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 597 योजनाएं पूर्ण कर 1,18,578 हे० में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त 774 योजनाओं के क्रियान्वयन से कुल 5.46 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई के पुनर्स्थापन का कार्य किया जा रहा है। इनमें से अब तक 756 योजनाएँ पूर्ण कर 5.23 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापन कराया गया है।
- ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'' अन्तर्गत 6,282.32 करोड़ रुपये लागत राशि की **कोशी–मेची लिंक परियोजना** के प्रथम भाग (राशि 2,682.74 करोड़ रुपये) अन्तर्गत पूर्वी कोशी मुख्य नहर (0 से 41.3 कि0 मी0 के बीच) का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन से बाढ़ की विभीषिका के शमन के साथ–साथ अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिले के कुल 2.15 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- बांका एवं मुंगेर जिलान्तर्गत **बाढ़ अवधि में गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ तथा खड़गपुर जलाशय में अंतरण कार्य** 1,866.11 करोड़ रुपये की लागत राशि से कराया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन से बांका एवं मुंगेर जिले के कुल 51.16 हजार हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
- जमुई जिलान्तर्गत बरनार जलाशय योजना का कार्य 2,579.38 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन से जमुई जिला के कुल 22.22 हजार हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
- गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिला में 1.58 लाख हे० सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 1.47 लाख हे० सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन के उद्देश्य से 2,061.82 करोड़ रुपये की लागत से **पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली (सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग (ई0आर0एम0) योजना** का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- **"जल–जीवन–हरियाली अभियान"** के अन्तर्गत पेयजलापूर्ति की महत्वकांक्षी **गंगा जल आपूर्ति योजना के द्वितीय चरण में नवादा एवं बिहारशरीफ शहर** को गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु 1,110.27 करोड़ रुपये की राशि से मधुबन जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति में है।

- **''जल–जीवन–हरियाली अभियान''** के अन्तर्गत औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों को सोन नदी में उपलब्ध सतही जल का उपयोग करते हुए 1,347.32 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति में है। इस योजना के अन्तर्गत 198.58 करोड़ रुपये की लागत से भभुआ एवं मोहनियॉ शहरों के लिए दुर्गावती जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति में है।

- **वर्ष 2025–26 के केन्द्रीय बजट में घोषित पश्चिमी कोसी नहर (ई.आर.एम.) परियोजना** जिसकी कुल लागत राशि 7,832.29 करोड़ रुपये है, के प्रथम चरण 3484.24 करोड़ रुपये का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना का कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र (सी0सी0ए0) 2,15,672 हे0 तथा वार्षिक सिंचन क्षमता 2,91,158 हे0 है। इसके कार्यान्वयन से दरभंगा जिला अन्तर्गत कुल 16 प्रखंड तथा मधुबनी जिला अन्तर्गत कुल 20 प्रखंड लाभान्वित होंगे। इस योजना को मार्च, 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- नदियों के किनारे निर्मित बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों तथा विभिन्न नदियों के किनारे बसे गाँवों एवं शहरों की सुरक्षा हेतु बाढ़ 2026 के पूर्व कुल 216 अदद् कटाव निरोधक तथा बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं (कुल राशि 447.36 करोड़ रुपये) को आगामी मॉनसून पूर्व पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

- विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित **''बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना (BWSIMP)''** के लिए JPY 51.52 बिलियन ऋण की मंजूरी विश्व बैंक द्वारा दी गई है। इस परियोजना की **कुल राशि 4,415 करोड़ रुपये** का 70% राशि विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किया जाना है।

**पंचायती राज विभाग**

- **पंचायत सरकार भवन**– राज्य में कुल 8,053 ग्राम पंचायतों में से अब तक 7,943 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 2,534 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना**– राज्य के 8,053 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कुल 1,09,321 वार्डों में प्रति वार्ड 10 सोलर स्ट्रीट लाईट एवं प्रति पंचायत अतिरिक्त 10 सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना है। इस प्रकार कुल निर्धारित लक्ष्य 11,73,740 के विरूद्ध कुल 8,90,705 सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंत तक पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

- **मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अंतर्गत** राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह मंडप का निर्माण कराया जा रहा है। कुल 1,000 विवाह मंडप का कार्य आरंभ किया गया है।

विवाह मंडप के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों के आमजनों की सामाजिक, सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्त्ति हो सकेगी एवं आर्थिक रूप से सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

- **जल–जीवन–हरियाली कार्यक्रम अंतर्गत** अब तक 25,518 सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। भू–गर्भ जल के सरंक्षण एवं वर्षा जल–संचयन हेतु अब तक कुल 19,226 सोख्ताओं का निर्माण कराया गया है। अवशेष सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ताओं का निर्माण शीघ्र कराया जायेगा।

**ग्रामीण विकास विभाग**

- 1.40 करोड़ से अधिक परिवारों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में **'जीविका'** द्वारा कार्य किया जा रहा है। महिलाएँ विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को अपनाकर उद्यमी बन रही हैं।

- वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 11,03,627 है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसकी संख्या 41,477 है। इस प्रकार, वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या 11,45,104 है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्रामीण क्षेत्र में 39,606 एवं शहरी क्षेत्र में 5,458 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 45,064 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में करीब 1.29 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंक द्वारा 7,052 करोड़ रूपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

- राज्य बागवानी मिशन (कृषि विभाग) बिहार के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 11,855 से अधिक महिलाएं मधुमक्खी पालन का कार्य कर रही हैं। अब तक 4,340 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है।

- ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना अन्तर्गत अब तक कुल 109 परिवारों को व्यावसायिक वाहन की उपलब्धता हेतु तथा स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (SVEP) के तहत अब तक कुल 32,572 व्यक्तिगत उद्यमियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है।

- बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में जीविका दीदियों द्वारा कुल 334 'जीविका दीदी की रसोई' का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 135 नए जीविका दीदी की रसोई स्थापित की गयी है।

- 15 जिलों में नोडल सिलाई सह प्रशिक्षण केंद्र पर 1,365 सिलाई मशीन के माध्यम से 40,142 जीविका दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- जीविका एवं विभिन्न परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सियों के सहयोग से कौशल विकास एवं नियोजन के क्षेत्र में अब तक लगभग 4,08,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित अथवा स्व–नियोजित किया गया है।
- नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के सहयोग से 372 जीविका दीदियाँ सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही हैं।
- ग्रामीण परिवारों के बच्चों को पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु समुचित सहयोग प्रदान करने एवं कैरियर निर्माण के संबंध में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा बिहार के 33 जिलों के 110 प्रखंडों में चिह्नित संकुल स्तरीय संघ स्तर पर 'सामुदायिक पुस्तकालय–सह–कैरियर विकास केंद्र' की स्थापना की गयी है।
- **सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत** अब तक कुल 2,01,218 चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों में से 1,93,000 परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि तथा 1,97,384 परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति हस्तांतरित की गयी है। इस योजना द्वारा सहयोग प्राप्त कर इन परिवारों द्वारा गव्य एवं बकरी पालन, माइक्रोइंटरप्राइज और दो व्यवसाय शुरु किये गये हैं।
- **मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना** के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार करने हेतु 10 (दस) हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरु करने के उपरान्त 2 (दो) लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी आवश्यकतानुसार प्रदान की जाएगी। योजना अंतर्गत महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गाँवों से लेकर शहरों तक हाट–बाजार विकसित किये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं को रोजगारपरक गतिविधियाँ संचालित करने हेतु प्रति महिला 10 हजार रुपये की राशि दी गयी है।
- वर्तमान समय में बिहार में 31,71,000 जीविका दीदियों को **लखपति दीदी** योजनान्तर्गत लखपति घोषित किया जा चुका है।
- जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत एक लाख से अधिक सार्वजनिक तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों एवं 38,085 सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार किया गया है। सरकारी भवनों में 11,993 सौर संयंत्र का अधिष्ठापन एवं 14,967 छत वर्षा जल संचयन की सरंचनाओं का निर्माण किया गया है। 86,152 एकड़ क्षेत्र में जैविक कृषि, 48,652 एकड़ क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई एवं 2,61,043 एकड़ क्षेत्र में जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है।
- वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य के लिए 21 करोड़ मानव दिवस का श्रम बजट स्वीकृत किया गया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल–कूद के पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु खेल–कूद की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किये जा रहे है।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में करीब 5 लाख नये परिवारों अथवा किसी कारणवश छूटे हुये परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है।
- **सात निश्चय–3** के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में **दोगुना रोजगार–दोगुनी आय** सुनिश्चित किये जाने के साथ राज्य अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादों के लिये बाजार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2026–27 में विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन–ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण हाट विकसित किया जायेगा।

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

- राष्ट्रीय मानक के अनुरूप राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देते हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान में राज्य में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद एवं 156 नगर पंचायत कार्यरत है, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत एवं बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब तक कुल 4,18,394 आवासों की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 1,75,249 परिवारों को पक्का मकान हस्तगत कराया गया है।
- नमामि गंगे योजना अन्तर्गत राज्य के कुल 24 गंगा शहर में से 22 गंगा शहर हेतु कुल 8426.01 करोड़ रुपये की 39 एस०टी०पी० एवं सिवरेज नेटवर्क योजना स्वीकृत है, जिनमें से 24 योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत पटना शहर के अतिरिक्त आस–पास के अन्य 12 नगर निकायों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पी०पी०पी० मोड पर कार्य कराने हेतु Integrated Solid Waste Management परियोजना की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें कचड़े से बिजली उत्पादन का भी प्रावधान है।
- स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत राज्य के 261 नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु 2938 Tonnes Per Day (TPD) का Material Recovery Facility (MRF) Plant, 3387 Tonnes Per Day (TPD) का Compost Plant, 100 Tonnes Per Day (TPD) का Biomethenation Plant एवं 1311 Tonnes Per Day (TPD) का Sanitary Landfill की स्वीकृति दी गयी है।

- राज्य के 04 शहरों (पटना, बिहारशरीफ, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर) में स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत कुल 122 योजनाएं स्वीकृत की गयी थी, जिसमें से 101 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुव्यवस्थित करने हेतु अब तक स्वीकृत 43 बस स्टैंड निर्माण में से 34 योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
- राज्य के 143 नगर निकायों में बहुउद्देश्यीय भवन के रूप में सम्राट अशोक भवन योजना की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें कुल 44 सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
- फुटपाथ विक्रेताओं की सुविधा हेतु नगर निकायों में कुल 66 वेंडिंग जोन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से कुल 25 वेंडिंग जोन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है।
- राज्य के 20 नगर निकायों में महिलाओं हेतु कुल 105 पिंक टॉयलेट निर्माण योजना की स्वीकृति दी गयी है।
- पटना शहर में व्यवस्थित एवं त्वरित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य 32.50 किलोमीटर में प्रारम्भ है जिसमें से कुल 3.45 किलोमीटर में मेट्रो रेल का **परिचालन 06 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ है।**
- मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगर निकायों में 2,091.90 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय पर कुल 3,208 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अन्तर्गत 41 शहरों/महत्वपूर्ण नदी घाटों पर स्वीकृत शवदाहगृह निर्माण योजना में से 10 योजना का कार्य पूर्ण हो गया है।
- राज्य के नगर निकायों में जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु 3,559.95 करोड़ रुपये की लागत पर 38 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति दी गयी है।

**उद्योग विभाग**

- हमारी औद्योगिक नीति राज्य में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य पर केन्द्रित है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर विशेष जोर देते हुए वर्त्तमान सरकार द्वारा राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का गठन किया गया है। उद्यमियों के हित में राज्य में बिहार उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का भी गठन किया गया है।

- डिफेन्स कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना कर बिहार को पूर्वी भारत के नये टेक हब (Tech Hub) तथा एक **'वैश्विक–बैक एंड–हब'** एवं **'ग्लोबल वर्कप्लेस'** के रूप में स्थापित किया जाना है। साथ ही, बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों को स्टार्ट–अप एवं अन्य न्यू ऐज इकोनॉमी प्रक्षेत्र में रोजगार सृजन में सक्षम बनाने हेतु भी कार्ययोजना बनायी जा रही है।

- राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति (संशोधन), 2025 तथा बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025 लागू की गयी है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 की घोषणा से राज्य में एक नया औद्योगिक वातावरण निर्मित हुआ है।

- मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक 209.88 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। गरीब परिवारों के आर्थिक विकास हेतु बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत 212.86 करोड़ रूपये का अनुदान प्रदान किया जा चुका है। कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 6,225 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 2,060 आवेदकों को नियोजित कराया गया है।

- स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत सभी जिलों से अब तक महिलाओं द्वारा स्थापित 235 स्टार्ट–अप्स सहित कुल 1,597 स्टार्ट–अप्स को चयनित किया गया है, जिन्हें 84.96 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गयी है।

- आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के तहत भूमि बैंक रिवॉल्विंग फंड हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक कुल 1,550 करोड़ रूपये की राशि भू–अर्जन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी है। गयाजी के डोभी अंचल में अमृतसर–कोलकाता आद्योगिक गलियारा के अन्तर्गत Bihar Integrated Manufacturing City Gaya Limited (BIMCGL) की स्थापना की गयी है।

- बिहार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पी०एम०एफ०एम०ई०) अत्यंत प्रभावी रूप से लागू है और बिहार इसमें देशभर में अग्रणी स्थान रखता है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 2,053 आवेदकों को 200.11 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पी०एम० विश्वकर्मा योजनान्तर्गत 1.07 लाख आवेदकों को प्रशिक्षण, 17,647 आवेदकों को ऋण वितरण तथा 48,988 आवेदकों को टूल किट प्रदान किया गया है।

- औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न जिलों से 20,767 एकड़ भूमि के भू–अर्जन का प्रस्ताव है,

जिसमें लगभग 693 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी शामिल है। बियाडा द्वारा वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में 767 इकाइयों को आवंटित 1,027 एकड़ जमीन में कुल 13,438.00 करोड़ रूपये के निवेश से लगभग 75,518 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी।

- अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के अन्तर्गत गयाजी में IMC के फेज–2 को विकसित किया जायेगा। फतुहा (पटना) के पास मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं फिनटेक सिटी की स्थापना की जायेगी। सारण जिला के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क विकसित किया जायेगा।
- कौशल विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के 2,690 युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

**गन्ना उद्योग विभाग**

- पेराई सत्र वर्ष 2025–26 के लिए उत्तम एवं सामान्य प्रभेद के गन्ना पर 15 रुपये प्रति क्विंटल तथा निम्न प्रभेद के गन्ना पर 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य में बढोत्तरी की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य के किसानों को अतिरिक्त 10 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य वृद्धि का लाभ दिया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृषि रोडमैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम हेतु कुल 49.00 करोड़ रुपये की योजना के तहत प्रजनक बीज, आधार बीज एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जा रहा है एवं 28,000 एकड़ में गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज, भूमि उपचार, तृणनाशी एवं पौधा संरक्षण तथा उर्वरक प्रबंधन का प्रत्यक्षण हेतु गन्ना कृषकों के बीच 7.00 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण अनुदानित दर पर किया जा रहा है।
- **सात निश्चय–3** के तहत ''समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार'' अंतर्गत राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जायेगा तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना की जायेगी।
- वित्तीय वर्ष 2026–27 में गन्ना बीज की समुचित मात्रा में उपलब्धता के लिए गन्ना नर्सरी कार्यक्रम के साथ आधुनिक टिशू कल्चर लैब की स्थापना हेतु गन्ना अनुसंधान प्रोत्साहन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष 2026–27 में गैर चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार के फलस्वरूप अतिरिक्त गन्ना का चीनी मिलों में आपूर्ति हेतु गन्ना परिवहन अनुदान कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जायेगा।

**श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग**

- **बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन**– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक कुल 581 बाल श्रमिक विमुक्त हुए है तथा Child Labour Tracking System में दर्ज कुल 247 विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये की दर से सावधि जमा किये जाने हेतु राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्ययोजना, 2026 का सूत्रण किया गया है।

- पूर्व ज्ञान की मान्यता (Recognition of Prior Learning) के माध्यम से निबंधित निर्माण श्रमिकों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य के सभी 09 प्रमंडलों में निर्माण श्रमिकों के निबंधन, नवीकरण एवं योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन करने हेतु श्रम सेवा सुविधा केन्द्र (SSSK) की स्थापना की जा रही है।

- राज्य सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निबंधित सभी कारखानों में गर्भवती महिलाओं एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं को छोड़कर सभी महिलाओं को रात्रि 10 बजे तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।

- प्लेटफॉर्म आधारित **गिग कामगारों** के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय, रोजगार और सेवा की स्थिति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपाय प्रदान करने और उससे सबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य मामलों के लिए बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 लागू किया गया है।

- **दुकान और प्रतिष्ठानों** में नियोजित कर्मकारों के रोजगार के नियमन और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित विधियों को संशोधित और समेकित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक मामलों के लिए बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) अधिनियम, 2025 लागू किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा श्रम संबंधी मामलों पर नीति–निर्माण एवं विचार–विमर्श के उद्देश्य से वी०वी० गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है। **बंधुआ श्रम** विषय पर नीति–निर्माण इत्यादि के उद्देश्य से International Justice Mission के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है। **गिग कामगारों** से संबंधित विषय पर नीति–निर्माण के उद्देश्य से Indus Action Initiative के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत अब तक कुल **345** लाभुकों को अनुदान राशि प्रदान की गई है।

- राज्य के प्रवासी श्रमिकों के डाटा संग्रहण एवं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का नीति–निर्माण किये जाने के उद्देश्य से बिहार प्रवासी कामगार ऐप का अनावरण किया गया है। इस ऐप पर दिनांक–31.12.2025 तक कुल 6,72,320 प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है।

- श्रम सेवा सुविधा केन्द्र (SSSK) में अधिष्ठापित मोबाईल वाहन के माध्यम से कार्यस्थल पर जाकर निर्माण श्रमिकों के निबंधन, नवीकरण एवं योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन एवं प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाना है। सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के साथ समन्वय कर गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु निजी और विशिष्ट अस्पतालों के साथ सूचीबद्धता प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।

**युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग**

- युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने तथा उन्हें कुशल–कौशल बनाने हेतु एक नया विभाग **"युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग"** का गठन किया गया है।

- बिहार अपने मानव शक्ति को इस भूमण्डलीय युग में आज की माँग के अनुरूप कुशल कामगार तैयार करने के प्रति कृतसंकल्पित है। कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में **"जननायक कपूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय"** की स्थापना की गई है।

- राज्य में आधुनिक मांग के अनुरूप उच्च कोटि के कौशल प्रशिक्षण हेतु **हब एंड स्पोक मॉडल** (Hub & Spoke Model) के आधार पर प्रथम चरण में सभी प्रमंडलों में एक–एक मेगा स्किल सेन्टर की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त कर प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु आधारभूत संरचना विकसित किया जा रहा है तथा द्वितीय चरण में राज्य के सभी जिलों में मेगा स्किल सेन्टर की स्थापना की जानी है।

- वर्तमान में राज्य के 152 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 114 सामान्य एवं 38 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिसमें 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित कर आज के Industry 4.0 के अनुरूप नये–नये रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिये जाने की योजना है।

- सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित कर अब तक कुल 7,865 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 5,570 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक नियोजन मेला के माध्यम से 19,593 आवेदकों एवं नियोजन कैम्प के माध्यम से 22,329 आवेदकों सहित कुल 41,922 आवेदकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

- 138 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का अपना भवन है तथा 08 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत द्वितीय चरण में 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित कर माह मार्च, 2026 तक प्रशिक्षण प्रारंभ करने का लक्ष्य है।
- राज्य में युवाओं को रोजगार सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक एकीकृत ई–निबंधन एवं रोजगार पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है।

**शिक्षा विभाग**

- राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में तीन चरणों में कुल 2,27,195 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही, 28,748 प्रधान शिक्षक तथा 4,699 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की गई है। वर्ष 2025–26 में राज्य के विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों में 672 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की गई है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित दिव्यांग अथवा विशेष आवश्यकता वाले छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 7,279 विशेष विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। 10 पंचायतों पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हेतु कुल 935 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चतुर्थ चरण में राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है।
- शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया गया है और उनकी वार्षिक मानदेय वृद्धि 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये की गई है। रात्रि प्रहरियों का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों का अगस्त 2025 से मानदेय 1,650 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह किया गया है।
- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025–26 में वर्ग 01 से 08 तक के 1.19 करोड़ छात्र–छात्राओं को 11.50 करोड़ पुस्तकों को मुद्रित कराकर राज्य के सभी प्रखण्डों में निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026–27 के लिए वर्ग 01 से 08 तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं स्कूल डायरी सहित लगभग 12.50 करोड़ पुस्तकों को मुद्रित कर निःशुल्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री बालक/बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक/बालिका

प्रोत्साहन योजना (मैट्रिक), मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना (7 निश्चय), मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना (7 निश्चय) आदि योजनाओं हेतु इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल **2.20 करोड़** लाभार्थियों को **4,755.21** करोड़ रूपये हस्तांतरित की गई है।

- पी0 एम0 पोषण योजना अन्तर्गत 68,813 आच्छादित विद्यालयों के वर्ग 01 से 08 तक अध्ययनरत् औसतन 1.04 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए 40 हजार विद्यालयों में पोषण वाटिका निर्माण करने के लक्ष्य के विरूद्ध 18,669 विद्यालयों में पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है।

- वर्त्तमान में कुल 30,000 शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को डिजिटल गतिविधियों के संपादन हेतु स्मार्ट फोन क्रय करने के लिए 10 हजार रुपये की दर से राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को वर्तमान में प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही राशि 3,405 रुपये को बढ़ाकर 12 हजार रुपये (1 हजार रुपये प्रति माह की दर से) प्रति केन्द्र की गई है।

- बिहार राज्य के असैन्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल 17 केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति एवं अर्द्ध–सैन्य क्षेत्र के अंतर्गत 02 केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है।

- बिहार में 836 PM SHRI विद्यालयों का चयन किया गया है जिसमें 47 मध्य विद्यालय (वर्ग 6 से 8) एवं 789 उच्च माध्यमिक विद्यालय है। PM SHRI विद्यालयों में आधारभूत संरचना एवं आधुनिक उपकरणों जैसे आई०सी०टी०, स्मार्ट क्लास, ड्रोन प्रशिक्षण, भाषा लैब इत्यादि संचालित कर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- प्रत्येक जिले के एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ–साथ अन्य 47 विद्यालय (कुल 85) को चिह्नित कर उसे अनुकरणीय मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा प्रणाली एवं संपूर्ण व्यवस्था में आई0टी0, सॉफ्टवेयर एवं नये नवाचारों के माध्यम से किये गये सुधार पूरे देश के समक्ष एक नजीर बन गया है, जिसे Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration सम्मान मिलने से राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है।

## उच्च शिक्षा विभाग

- राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उदेश्य से एक नये विभाग **"उच्च शिक्षा विभाग"** का गठन किया गया है।
- बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिकतम 4.00 लाख रूपये तक ब्याज रहित शिक्षा ऋण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 52,616 स्वीकृत आवेदन के विरूद्ध 1,812.56 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा 1,002.28 करोड़ रुपये वितरित की जा चुकी है।
- मिथिला शोध संस्थान का आधुनिकीकरण एवं संरक्षण हेतु कार्य किया जा रहा है।
- पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरंभगा को मॉडल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु 100 करोड़ रूपये प्रति संस्थान की स्वीकृत राशि से कार्य प्रारंभ है।
- **सात निश्चय–3** के अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना, एक नये एजुकेशन सिटी का निर्माण करने संबंधित कार्य किये जाएंगे।

## स्वास्थ्य विभाग

- मातृ मृत्यु अनुपात एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा मिशन मोड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप SRS 2023 के अनुसार, राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 104 हो गया है, शिशु मृत्यु दर घटकर 23, नवजात शिशु (जन्म से 28 दिन) मृत्यु दर घटकर 18 और पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर घटकर 27 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत (IMR-25, NMR-19 और Under 5 Mortality Rate-29) से बेहतर है।
- राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को विशिष्ट एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से सात निश्चय–3 के **"सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन"** अन्तर्गत प्रखंड स्तर पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Speciality Hospital) के रूप में विकसित करने हेतु पूर्व से दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त हड्डी रोग, नेत्र रोग और कान, नाक एवं गला के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिये विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, जिला अस्पतालों को अतिविशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Super Speciality Hospital) के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है।

- पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को विश्वस्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन के क्रम में प्रथम चरण में 1,100 बेड वाले 2 टावर को कार्यशील किया गया है। साथ ही, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा का 2,546.41 करोड़ रूपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है।
- राज्य के 05 जिलों यथा पूर्णियाँ, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा तथा सारण (छपरा) में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए जन–उपयोग हेतु समर्पित कर दिया गया है तथा 10 जिलों यथा मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई, भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, सुपौल, मुंगेर तथा सीतामढ़ी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- सिर, मुँह एवं गर्दन के कैंसर से पीड़ित मरीजों के ईलाज हेतु गंगवारा, दरभंगा में नवनिर्मित 100 शय्या वाले अस्पताल में कैंसर से संबंधित चिकित्सा प्रारंभ की गयी है। साथ ही, मुजफ्फरपुर में 100 शय्या वाले पैलियेटिव केयर अस्पताल का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिससे एडवांस स्टेज के कैंसर मरीजों की देखभाल में सुविधा होगी।
- देशी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कुल 803.89 करोड़ रुपये की लागत से दरभंगा एवं बेगूसराय में आयुर्वेदिक कॉलेज, मुजफ्फरपुर में होमियोपैथिक कॉलेज तथा पटना में तिब्बी कॉलेज का भवन निर्माण कराया जा रहा है।
- पटना जिलान्तर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्तपाल, राजवंशीनगर, पटना को 400 शय्या के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु 215.00 करोड़ रूपये की लागत से निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पटना के मीठापुर में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नये एवं आधुनिक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- राज्य में आमजनों को नेत्र की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक निजी भागीदारी (PPP) के तहत शंकरा आई फाउण्डेशन इंडिया, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के द्वारा अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, कंकड़बाग, पटना का निर्माण कार्य जारी है। इसके पूर्ण होने से राज्य के गरीब नेत्र रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा मुफ्त में उपलब्ध होगी।
- प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन–आरोग्य योजना के तहत् राज्य में अब तक लगभग 1.69 करोड़ परिवारों के लगभग 4.12 करोड़ पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड निर्माण किया गया है।

- ‘‘बाल हृदय योजना’’ अन्तर्गत ‘प्रशान्ति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउन्डेशन’ अहमदाबाद सहित राज्य के दो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों यथा—इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना एवं इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत अब तक कुल 2,705 बच्चों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जा चुका है।

- स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की आवश्यक सूची अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लगभग 100 प्रकार की दवायें और सदर अस्पतालों में 350 से अधिक प्रकार की दवायें उपलब्ध है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारत सरकार के DVDMS Central Dashboard पर औषधियों की आपूर्ति एवं वितरण में बिहार सितम्बर, 2024 से **प्रथम स्थान को बनाये हुए है।**

**समाज कल्याण विभाग**

- **बैट्री चालित ट्राईसाईकिल**— वित्तीय वर्ष 2022—23 में कुल 8,956, वित्तीय वर्ष 2023—24 में कुल 9,416 एवं वित्तीय वर्ष 2024—25 में कुल 6,307 तथा वित्तीय वर्ष 2025—26 में अब तक कुल 3,762 अर्थात कुल 28,441 लाभुकों को बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का वितरण किया गया है।

- दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः 50,000 रुपये एवं 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

- **मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना** के तहत स्वीकृत लाभुकों को ऋण एवं अनुदान (50:50) के रूप में परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम 10,00,000 रुपये प्रदान की जायेगी।

- **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत** कन्या के विवाह के समय 5,000 रुपये भुगतान किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2025—26 में 1,538.70 लाख रुपये की राशि से लगभग 31 हजार लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।

- **परवरिश योजनान्तर्गत** कुल 15,500 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है।

- **पेंशन योजनाएँ**— राज्य के वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं अन्य असहाय व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु छः सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ संचालित हैं। सभी पेंशन योजनाओं में माह जून, 2025 से 1,100 रुपये प्रतिमाह डी०बी०टी० के माध्यम से

पेंशनधारियों के खाते में भुगतान किया जा रहा है। अब तक कुल 116.05 लाख जीवन प्रमाणीकृत पेंशनधारी को दिसम्बर, 2025 तक पेंशन भुगतान किया जा चुका है।

- कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना अन्तर्गत 3,000 रुपये की राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 22,730 व्यक्तियों के अन्त्येष्टि क्रिया हेतु भुगतान किया गया है।
- **बिहार शताब्दी एडस पीड़ित कल्याण योजना** के तहत एड्स रोगियों को भोजनादि हेतु 1,500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 72,704 लाभुकों को एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।
- **ओल्ड एज होम (सहारा) का संचालन** गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। कुल 06 वृद्धाश्रम की आवासन क्षमता 450 है, जिसमें 423 वृद्धजन आवासित हैं।
- **सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना** (वर्ष 2021 से आरंभ) अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों को 1,00,000 रुपये एवं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये की दर से संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अब तक कुल 124 महिला अभ्यर्थियों तथा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 3,215 महिला अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- वर्त्तमान में राज्य में कुल 65 वन स्टॉप सेन्टर स्वीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल पंजीकृत 4,691 केस में से 4,178 केस का निष्पादन किया गया है।

**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

- **"मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना"**, 'पीएम यशस्वी' एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अब तक कुल 53,52,858 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- **"मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना"** हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में 369.69 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है।
- **"मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना"** अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक 1,16,065 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। **"मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अन्तर्गत"** वित्तीय वर्ष 2025–26 में 73,785 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

- सभी 38 जिलों में कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। अब तक 23 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 16 निर्माणाधीन है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के अन्तर्गत अब सभी 38 जिलों को आच्छादित किया गया है। वर्तमान में राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए 26 जिलों में 29 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित की जा रही है जिसमें कुल 2,196 छात्र/छात्राएं नामांकित हैं।
- **"जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना"** अन्तर्गत सभी 38 जिलों में एक–एक छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी 38 जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों में कुल क्षमता 3,800 के विरुद्ध वर्तमान में 3,597 छात्र/छात्राएं नामांकित हैं।
- वित्तीय वर्ष 2026–27 में नवनिर्मित 520 आसन वाले 08 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का संचालन, नवनिर्मित भवन में आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, 13 निर्माणाधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, नवनिर्मित भवन में विद्यालय का संचालन किया जाना एवं 06 निर्माणाधीन अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग**

- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 66 और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित हैं जिनकी क्षमता क्रमशः 32,080 और 12,160 विद्यार्थियों की है। वर्तमान में 46 आवासीय विद्यालय +2 स्तर के संचालित हैं।
- राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वर्ष 2025–26 तक 30,000 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 136 प्रखंड जहाँ छात्रावास नही है, वहाँ 100 आसन वाले छात्रावास के स्थापना की स्वीकृति दी गई है। अब तक 58 नए छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में **"मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना"** के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास (100 आसन) के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। अब तक 16 जिलों में छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
- **महादलित विकास**– अनु0जाति/अनु0जनजाति के 43.72 लाख परिवारों को अब तक विकास रजिस्टर में दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार महादलित विकास

मिशन के ऑनलाईन पोर्टल विकास रजिस्टर पर कार्य करने हेतु **टैबलेट** सेट प्रत्येक विकास मित्र को उपलब्ध कराई गई है। सितम्बर, 2025 से विकास मित्रों को परिवहन भत्ता, स्टेशनरी भत्ता एवं संचार भत्ता में वृद्धि कर क्रमशः 1,900 रुपये से 2,500 रुपये, 900 रुपये से 1,500 रुपये एवं 450 रुपये से 750 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

**अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**

- **अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना** अन्तर्गत राज्य में अब तक कुल 24 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 22 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा वर्तमान में दरभंगा एवं किशनगंज में निर्माण कार्य पूर्ण कर शैक्षणिक कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।
- **मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना** के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। वर्ष 2007 से वर्ष 2024 तक 10,80,354 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में लाभुकों का चयन कर उन्हें लाभान्वित करने हेतु अब तक 16,922.70 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया है।
- **अल्पसंख्यक छात्रावास योजना** के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में 61 छात्रावास निर्माण के योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक राज्य में 51 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

**कला एवं संस्कृति विभाग**

- **मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना**– राज्य सरकार ने कला के क्षेत्र में जीवन भर योगदान देने वाले वरिष्ठ, उपेक्षित और आर्थिक रुप से कमजोर कलाकारों के लिए 'मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सहायता दिए जाने का प्रावधान है ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके। अब तक पटना, सारण, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, बांका, भोजपुर, अररिया, जहानाबाद एवं किशनगंज जिलों के 85 कलाकारों का चयन किया गया है।
- **मुख्यमंत्री गुरु–शिष्य परंपरा योजना** के तहत अनुभवी कलाकारों को 'गुरु' और युवाओं को 'शिष्य' बनाकर पारंपरिक लोक कला, संगीत, नृत्य और वादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार द्वारा गुरु को 15,000 रुपये, संगतकार को 7,500 रुपये और शिष्य को 3,000 रुपये प्रति माह सहायता दी जा रही है।

- **अटल कला भवन निर्माण योजना**– राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों को जिला स्तर पर संस्थागत रुप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से **'अटल कला भवन निर्माण'** योजना के तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 620 दर्शक क्षमता वाले आधुनिक 'अटल कला भवन' का निर्माण किया जा रहा है। सारण, गया, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, मुंगेर एवं दरभंगा में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लखीसराय और बांका में भवनों का निर्माण प्रगति पर है तथा नवादा, शेखपुरा, अरवल, बक्सर, कैमूर (भभुआ), सिवान और अररिया में कार्य प्रक्रियाधीन है।
- वैशाली की ऐतिहासिक भूमि पर 550.48 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित **"बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तूप"** का निर्माण कार्य पूर्ण कर आम जनों के लिए सुलभ कराया गया है।
- **बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति, 2024** के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरुप राज्य में 30 से अधिक फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री परियोजनाओं को शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। फिल्म और नाट्य के क्षेत्र में 20 मेधावी युवाओं को कुल 13.53 लाख रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जिससे बिहार के युवा राष्ट्रीय स्तर की कला शिक्षा प्राप्त कर भविष्य में राज्य की रचनात्मक पहचान को और सशक्त बनाएंगे।
- **'ज्ञान भारतम्' मिशन अंतर्गत पाण्डुलिपि संरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन (MoU)**– 'ज्ञान भारतम्' का उद्देश्य भारत की विशाल पाण्डुलिपि विरासत को संरक्षित, डिजिटाइज और प्रसारित कर इस परंपरा को तकनीक से जोड़कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान को सुलभ बनाना है। इस कार्य हेतु संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है।

**सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग**

- **बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना**– राज्य में कार्यरत संचार प्रतिनिधियों को समूह चिकित्सकीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 664 पत्रकारों को बीमा से आच्छादित किया गया है।
- **पत्रकार पेंशन योजना**– राज्य के 86 वरिष्ठ मीडिया कर्मी वर्त्तमान में पत्रकार पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
- सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के सोशल मीडिया हैंडल्स पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का प्रयोग करते हुए "AI सुचिता" एंकर के माध्यम से राज्य में संचालित विकास कार्यों, नई घोषणाओं और विभागीय योजनाओं का सटीक एवं आकर्षक प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है।

## खेल विभाग

- राज्य के 5 जिला – पटना, गया, राजगीर (नालंदा), भागलपुर एवं बेगूसराय में दिनांक–04.05.2025 से 15.05.2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सफल आयोजन कराया गया, जिसमें बिहार के खिलाड़ियों को 07 स्वर्ण सहित कुल 36 पदक प्राप्त हुए है।
- **अंडर–20 महिला एवं पुरूष एशियन रग्बी चैम्पियनशिप–2025 का आयोजन** दिनांक–09.08.2025 से 10.08.2025 तक राजगीर (नालंदा) में सफलतापूर्वक कराया गया। **पुरूष एशियन हॉकी चैम्पियनशिप–2025** का आयोजन दिनांक–29.08.2025 से 07.09.2025 तक राजगीर (नालंदा) में सफलतापूर्वक किया गया।
- **राज्य खेल अकादमी–सह–अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर** में वर्तमान में निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बिहार राज्य हेतु संबद्धता प्राप्त संस्था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बी.सी.ए.) को रख–रखाव एवं संचालन हेतु सौंपने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- राज्य के सभी 154 नगर पंचायतों एवं सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में **खेल क्लब के गठन** की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।
- बिहार राज्य के कुल 38 जिलों के सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में कम–से–कम एक खेल मैदान बनाने का लक्ष्य है। अब तक कुल 5,341 खेल मैदान चिन्हित किया गया है जिसमें से कुल 4,849 खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा 492 निर्माणाधीन है।
- मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत राज्य में खेल अवसंरचना का निर्माण के तहत् प्रखंड स्तर पर 257 स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 46 स्टेडियम निर्माणाधीन है।
- 25 जिलों में 165.25 करोड़ (प्रति जिला 6.61 करोड़) रूपये की लागत से खेल भवन–सह–व्यायामशाला के निर्माण का कार्य पूर्ण है तथा 13 जिलों में औसतन 10.31 करोड़ रूपये प्रति इकाई की लागत से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है एवं निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
- **सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना के निर्माण** योजनान्तर्गत राज्य के सभी 09 प्रमंडलों में भूमि चिन्हित कर लिया गया है। दो प्रमंडलों यथा–पूर्णिया एवं सहरसा में निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा किया जा रहा है।
- पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 574.33 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

- **प्रगति यात्रा के दौरान** घोषित कुल 13 जिलों यथा–पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, जमुई, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं कैमूर के 14 स्थानों में कुल 477.80 करोड़ रूपये की लागत से स्टेडियम/खेल अवसंरचना/स्पोर्टस कॉम्पलेक्स के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है।

- आगामी वर्षो में निम्नांकित खेल का आयोजन प्रस्तावित है–(1) वर्ष 2026 में एफ०आई०एच० हॉकी प्रो लीग। (2) वर्ष 2028 में नेशनल यूथ गेम्स। (3) वर्ष 2030 में विश्व कप हॉकी एवं राष्ट्रमंडल खेल। (4) वर्ष 2034 में राष्ट्रीय खेल।

**विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिलान्तर्गत बगहा अनुमंडल में राजकीय पॉलिटेक्निक, बगहा की स्थापना एवं निर्माण कार्य के लिए 73.04 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रांरभ कर दिया जायेगा।

- राज्य के तीन जिलों यथा पूर्वी चम्पारण, जमुई, पूर्णिया में केन्द्र सरकार की सहायता से डिजिटल तारामंडल/स्पेस एण्ड ऐस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर की स्थापना के लिए 39.00 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रांरभ कर दिया जायेगा।

- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण में गठित बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (BIRSAC) के भू–स्थानिक सेवाओं (Geo-Spatial Services) के उपयोग हेतु भू–स्थानिक सेवाओं संबंधित नीति–2025 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- राज्य में स्थापित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं एन०आई०टी०, पटना के स्टार्टअप को सभी प्रकार की सुविधाएँ जैसे तकनीकी सपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, नेटवर्क बिजनेस कनेक्शन आदि प्रदान किये जाने हेतु कुल 47.76 करोड़ रुपये की लागत से एन०आई०टी०, पटना में इनक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना की जानी है।

- अभियंत्रण महाविद्यालयों में परम्परागत विधाओं के अतिरिक्त स्नातक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), मशीन लर्निंग (ML), डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, सिविल इंजीरियरिंग विथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, 3–डी एनीमेशन एण्ड ग्राफिक्स इत्यादि जैसे नवीनतम विधाओं मे पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया है।

- राज्य के छात्र/छात्राओं में विज्ञान के प्रति अभिरूचि पैदा करने तथा वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किये गए सिद्वांतों का आम जन–जीवन में हो रहे प्रयोगों को प्रदर्शित करने हेतु पटना में डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी का निर्माण कर आम जनों हेतु खोल दिया गया है।

- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षकों द्वारा रोस्टर तैयार कर गणित, विज्ञान, रसायन, भौतिकी एवं अंग्रेजी विषय में स्थानीय स्कूली छात्र/छात्राओं को अध्ययन एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निःशुल्क कार्यक्रम **''पहल''** की शुरूआत की गई है तथा नियमित रूप से इसकी कक्षाएँ आयोजित की जा रही है।

**सूचना प्रावैधिकी विभाग**

- पंचायत स्तर तक सरकारी कार्यालयों को विश्वसनीय और सुरक्षित नेटवर्क सेवाएँ प्रदान करने हेतु BSWAN 3.0 परियोजना के माध्यम से जिला/अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत अन्तर्गत कई विभागों यथा जिला भविष्य निधि कार्यालय, जिला कोषागार कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय, वाणिज्य–कर अंचल, जिला निबंधन कार्यालय के साथ अन्य विभागों के कार्यालयों को संबद्ध (Integrate) किये जाने की योजना है। साथ ही, इस परियोजना के माध्यम से बिहार के सभी थानों को निर्बाध SDWAN नेटवर्क से जोड़े जाने की भी योजना है।

- यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म (बिहार–वन) को विकसित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों के आरटीपीएस और नन–आरटीपीएस सेवाओं के आवेदन में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। साथ ही, इससे दस्तावेजों के सत्यापन एवं अनुमोदन में लगने वाले समय को भी कम किया जा सकेगा।

- विभिन्न विभागों/कार्यालयों के संवेदनशील डाटा, वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के ऑडिट तथा साईबर सुरक्षा से संबंधित अन्य गतिविधियों से जुड़े मामलों के लिए राज्य में एक साईबर सुरक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है।

- राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत राज्य में 3 Artificial Intelligence-Centre of Excellence(AI-CoE) की स्थापना किया जाना है।

- राज्य की राजधानी पटना को आई०टी० हब के रूप में विकसित करने हेतु आई०टी० कम्पनियों को बिस्कोमान टॉवर स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में बिस्कोमान टॉवर के 9वीं, 13वीं एवं 14वीं मंजिल का अधिग्रहण

विभाग के द्वारा किया गया है। राज्य में नवाचार तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिस्कोमान टॉवर अवस्थित सॉफ्टवेयर पार्क में 31 स्टार्टअप कंपनियों को बिस्कोमान टॉवर के 9वीं एवं 13वीं मंजिल पर निःशुल्क प्लग–इन–प्ले ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया गया है।

- राज्य में विद्यार्थियों की उन्नत शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीक के माध्यम से लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित कर विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा प्रदान किया जायेगा।

**परिवहन विभाग**

- 100% डीजल चालित सार्वजनिक बसों का सी0एन0जी और EV में रूपातंरण करने की योजना है। राज्य भर में 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप की शुरूआत की जाएगी। 2000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। सभी प्रखंडों और ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले CNG स्टेशन सभी प्रखंडों में HMV के लिये Charging Infrastructure स्थापित करने का लक्ष्य है। सभी प्रंखडों को कवर करने वाले 1000 से अधिक प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक अनुमंडल में एक Driving Testing Track के निर्माण का लक्ष्य है।
- **बिहार स्वच्छ ईंधन (सिटी बस प्रोत्साहन) योजना, 2023** के अंतर्गत पटना जिले में 38 निजी डीजल चालित सिटी बसों को सी.एन.जी. चालित बसों में परिवर्तित किया गया है एवं वाहन प्रदूषण नियंत्रण हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 266 सी.एन.जी. एवं 25 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया गया है।
- प्रमुख शहरों यथा पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से **"पी.एम.ई. बस योजना"** अंतर्गत कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की योजना है।
- **बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति** के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन तथा उनके चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित करने के लिये इसके क्रय में प्रोत्साहन राशि/अनुदान राशि एवं टैक्स में छूट निर्धारित शर्तो के साथ दी जा रही है।
- सभी प्रखण्डों को वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र से आच्छादित करने हेतु प्रोत्साहन राशि अनुदान के तहत **वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र प्रोत्साहन योजना** लागू की गई है।
- **मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना** अन्तर्गत राज्य के सभी पंचायतो में बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु अब तक लगभग 45,900 लाभुकों को तिपहिया वाहन एवं 670 लाभुकों को एम्बुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया गया है।

- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अन्तर्गत प्रखंडों में बेहतर परिवहन के साधन उपलब्ध कराने हेतु 200 लाभुकों को बसों के क्रय पर अनुदान दिया गया है।

- वाहन चालकों (यथा–ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी आदि) के तथा उनके परिवार के सामाजिक–आर्थिक उन्नयन एवं उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने हेतु **"मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024"** अधिसूचित की गई है।

- वर्तमान में छः महत्वपूर्ण जिलों यथा– पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियाँ में कुल 100 महिला स्पेशल पिंक बसों का परिचालन किया जा रहा है।

- मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत चालन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 29 जिलों में 35 मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण पर लाभुकों को अनुदान दिया गया है।

**भवन निर्माण विभाग**

- भवन निर्माण विभाग द्वारा विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण भवनों यथा–सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, बिहार संग्रहालय (पटना), सरदार पटेल भवन (पटना), महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र (बोधगया), राज्य अतिथि गृह (बोधगया), बापू परीक्षा परिसर (पटना), वाल्मीकिनगर (बेतिया) में वाल्मीकि सभागार तारामंडल–सह–ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय (दरभंगा), तारामंडल (पटना) का उन्नयन, नियोजन भवन (पटना) तथा गर्दनीबाग पटना में आवास इत्यादि का निर्माण कराया गया है।

- बापू की स्मृतियों को चिरंतर कायम रखने के लिए पटना में 84.49 करोड़ रुपये की लागत से ताम्र आवरण युक्त बापू टावर के भवन का निर्माण कार्य एवं 48.00 करोड़ रुपये की लागत से प्रदर्श का निर्माण कार्य किया गया।

- 550.48 करोड़ रुपये की लागत से वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्तूप का निर्माण कार्य, 889.98 करोड़ रुपये की लागत से पटना में डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी का निर्माण कार्य, 158.00 करोड़ रुपये की लागत से पटना संग्रहालय के उन्नयन एवं विस्तारीकरण का कार्य, 889.26 करोड़ रुपये की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कार्य, 1,121.41 करोड़ रुपये की लागत से राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम–सह–खेल अकादमी परिसर का निर्माण कार्य एवं 267.24 करोड़ रुपये की लागत से बिहटा (पटना) में राज्य आपदा रिस्पॉन्स सेन्टर भवन का निर्माण कार्य अग्रिम चरण में है। इन सभी कार्यों को तीव्र गति से किया जा रहा है।

- 129.69 करोड़ रुपये की लागत से लोक भवन, पटना में राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथि गृह भवनों, 121.83 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली स्थित बिहार निवास पुनर्विकास कार्य, 75.86 करोड़ रुपये की लागत से गर्दनीबाग (पटना) में जजेज एनक्लेव, 51.

87 करोड़ रुपये की लागत से पूर्वी गार्डिनर रोड, पटना में संयुक्त कार्यालय भवन, 73.66 करोड़ रुपये की लागत से जीविका मुख्यालय भवन, पटना, 63.11 करोड़ रुपये की लागत से लोदीपुर, पटना में विशेष कार्य बल के मुख्यालय भवन का कार्य, 246.23 करोड़ रुपये की लागत से नेहरू पथ, पटना में 60 सेट ऑफिसर्स आवास एवं हॉस्टल परिसर, 302.65 करोड़ रुपये की लागत से माननीय उच्च न्यायालय, पटना परिसर में विभिन्न भवनों का निर्माण कार्य, 71.24 करोड़ रुपये की लागत से वरीय पदाधिकारी आवास, छज्जूबाग (पटना) 150.94 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका के विभिन्न भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

- 314.20 करोड़ रुपये की लागत से बिहार भवन, मुम्बई के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है।
- सरकारी भवनों के समग्र रख–रखाव हेतु एक नीति भी तैयार की जा रही है, जिसके अनुसार भविष्य में सभी सरकारी भवनों का अनुरक्षण मरम्मति तथा रख–रखाव किया जा सकेगा।

**पथ निर्माण विभाग**

- वर्ष 2025–26 में जे0पी0 गंगा पथ के कंगनघाट से दीदारगंज तक लोकार्पण से पटना शहर में कुल 20.50 कि0मी0 एलिवेटेड जे0पी0 गंगा पथ पर पश्चिम से पूरब तक सुगम आवागमन चालू है। राज्य का पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर शहीद कारगिल चौक से अशोक राजपथ को लोकार्पित किया गया। मीठापुर–महुली एलिवेटेड पथ परियोजना के भूपतिपुर से पुनपुन तक का कार्य पूर्ण कर इसे लोकार्पित किया गया। कच्ची दरगाह–बिदुपुर पुल के पटना से राघोपुर अंश का कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया गया।
- विगत एक वर्ष में लगभग 38,732.54 करोड़ रुपये के कुल 266 पथ एवं पुल परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें कुल 23,974.97 करोड़ रुपये की 137 परियोजनाएँ प्रगति यात्रा के तहत तथा 14,757.57 करोड़ रुपये की कुल 129 अन्य परियोजनाएँ सम्मिलित है। इन स्वीकृत योजनाओं में दीघा–बिहटा–कोईलवर (लम्बाई–35.65 कि0मी0), मुंगेर (सफियाबाद)–बरियारपुर–घोरघट–सुल्तानगंज (लम्बाई–42.00 कि0मी0) एवं सुल्तानगंज–भागलपुर–सबौर (लम्बाई–40.80 कि0मी0) गंगा पथ परियोजना को राज्य में प्रथम बार HAM (Hybrid Annuity Model) पर कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।
- राज्य में पुल निर्माण कार्य के साथ–साथ निर्मित पुलों के समुचित रख–रखाव एवं बेहतर प्रबंधन हेतु **"बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025"** लागू की गई है। 60 मीटर से अधिक लम्बाई के 624 पुलों का संधारण एवं प्रबंधन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। इस नई नीति का क्रियान्वयन Bridge Maintenance Bidding Dcoument (BMBD) के माध्यम से कराया जाएगा। उक्त नीति के तहत वर्तमान में 250 मीटर से अधिक

लम्बाई वाले 85 पुलों के Structural Safety Audit का कार्य IIT Delhi एवं IIT Patna से कराने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है।

- राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त सड़क आधारभूत संरचना के विकास के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा (1) वाराणसी– कोलकाता (2) गोरखपुर–सिलीगुड़ी (3) रक्सौल–हल्दिया (4) पटना–पूर्णिया एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। इन एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा रामजानकी मार्ग अन्तर्गत मशरख से भिट्ठामोड़ के मार्गरेखन की भी स्वीकृति दी गई है।

- राज्य अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय उच्च पथ के अन्य महत्वपूर्ण मेगा परियोजनाओं में दानापुर–बिहटा–कोईलवर प्रगति में है, आमस–दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना प्रगति में है, मुंगेर–मिर्जा चौकी 4 लेन परियोजना प्रगति में है, दिघवारा–शेरपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल प्रगति में है। महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर गंगा नदी पर 4 लेन पुल प्रगति में है। जे0पी0 सेतु के समानान्तर गंगा नदी पर 6 लेन पुल प्रगति में है।

- अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कच्ची दरगाह–बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के चरण–02 के अंतर्गत हाजीपुर–महनार पथ (NH-122B) से चकसिकंदर (NH-322) एवं चरण–03 के अंर्तगत ''राघोपुर दियारा, वैशाली से हाजीपुर–महनार पथ'' का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जे०पी० गंगा पथ से पटना घाट संपर्कता (पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मीठापुर से सिपारा एलिवेटेड पथ एवं सिपारा में रोड ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लोक निजी भागीदारी (PPP) अन्तर्गत बख्तियारपुर–ताजपुर के बीच गंगा नदी पर पहुँच पथ के साथ 4 लेन पुल परियोजना (लंबाई 51 कि0मी0) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **सभी सिंगल लेन विभागीय पथों को आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2 लेन में उन्नयन की योजना पर कार्रवाई की जा रही है।**

- सात निश्चय–3 (वर्ष 2025–30) अन्तर्गत सुलभ सम्पर्कता हेतु 05 नये एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है।

**ग्रामीण कार्य विभाग**

- **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)**– इस योजना अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में 100 या इससे अधिक की आबादी के छूटे हुए 13,815 बसावटों (कुल लंबाई 16,652 कि0मी0) में से अब तक कुल 6,083 बसावट के संपर्कता हेतु (कुल लंबाई 8,095 कि0मी0) पथों की स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 1,885 पथ (कुल लम्बाई 1,983 कि0मी0) का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष पथ निर्माण के विभिन्न चरणों में है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत कुल 3,000 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

- वित्तीय वर्ष 2026–27 में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क (II) योजनान्तर्गत** लगभग 200 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों एवं 200 पुलों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

- **ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम** के तहत अब तक कुल 18,115 ग्रामीण पथ जिनकी लंबाई 30,964 कि0मी0 है, (कुल राशि 27,360.35 करोड़ रुपये) के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इनमें से अब तक कुल 16,331 पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण कार्य किया गया है। शेष पथों को वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना** अंतर्गत अब तक कुल 909 पुलों की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है।

- **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना** अन्तर्गत अब तक कुल 835.92 करोड़ रूपये व्यय करते हुए कुल 616 कि0मी0 पथ एवं 181 पुलों का निर्माण कराया गया है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम**– इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक कुल 1,185 पथों (2,351.55 कि0मी0) का निर्माण किया गया है तथा शेष पथों का कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना**– इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक कुल 522 पथों में कार्य पूर्ण करते हुए कुल 1,250 कि0मी0 पथों का उन्नयन कार्य कराया गया है तथा शेष पथों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है।

**ऊर्जा विभाग**

- राज्य के आर्थिक विकास के साथ–साथ विद्युत की माँग में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में 23 से 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। विद्युत की अधिकतम माँग (Peak Demand) वर्ष 2025–26 में 23 **जुलाई 2025 को बढ़कर 8,752 मेगावाट** हो गयी। **वर्ष 2026–27 में राज्य की अधिकतम माँग 9,600 मेगावाट** से अधिक होने का आकलन है।

- उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण से संबंधित त्रुटियाँ, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अधिष्ठापन एवं OCR (Optical Character Recongnition) तकनीक द्वारा मीटर पठन एवं Spot Billing होने के कारण लगातार कम हो रही है।

- **जल–जीवन–हरियाली अभियान** योजना के तहत निर्धारित कुल 12,971 सरकारी भवनों यथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, ई–किसान भवनों, पॉलिटेकनिक/अभियंत्रण महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के छतों पर कुल 119 मेगावाट क्षमता के ग्रिड

कनेक्टेड रुफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के विरुद्ध वर्त्तमान में 12,131 सरकारी भवनों पर 112 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। **अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रुफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है।**

- पी०एम० सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अन्तर्गत आवासीय भवनों के छतों पर सोलर प्लांट लगाये जा रहे हैं जिसमें 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट एवं अधिक क्षमता हेतु 78,000 रुपये के अनुदान का प्रावधान है। पूर्व की ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप योजना एवं वर्तमान योजना को मिलाकर अब तक कुल 15,900 निजी भवनों पर 57.20 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जा चुके हैं। आर्थिक रुप से कमजोर कुटीर ज्योति श्रेणी (BPL) के 58 लाख उपभोक्ताओं के यहां 1.1 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र 100 प्रतिशत सब्सिडी के साथ लगाये जाने की योजना के प्रथम चरण में 10 लाख उपभोक्ताओं की छतों पर लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत सभी पंचायतों में 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का लक्ष्य है जिसके विरुद्ध 8.44 लाख सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किये जा चुके हैं।

- पीरपैंती (भागलपुर) में भूमि एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता तथा निकट में राजमहल कोयला खदान होने के फलस्वरुप नई तकनीक का उपयोग करते हुए 3X800 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र लगाने हेतु कार्य प्रगति पर है। इसे पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2029–30 है।

- **मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना**– राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कुल 8.55 लाख कृषि पम्प सेटों को वर्ष 2026 के सितम्बर माह तक बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक कुल 7.66 लाख किसानों को पटवन कार्य हेतु कृषि विद्युत संबंध प्रदान किये जा चुके हैं। वर्त्तमान में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना–2 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 4.80 लाख के विरुद्ध 3.91 लाख कृषि विद्युत संबंध प्रदान किए जा चुके हैं।

- जुलाई, 2025 से मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत **घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट की खपत तक अनुदान को बढ़ाकर शत–प्रतिशत कर दिया गया है** जिसके फलस्वरुप इन उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के उपभोग पर कोई राशि भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 125 यूनिट से अधिक खपत करने पर भी वर्त्तमान में दी जा रही सब्सिडी यथावत है।

- **स्मार्ट प्रीपेड मीटर**– राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 220 लाख से अधिक हो गई है। अब तक 83 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये जा चुके हैं, जो किसी राज्य में

सर्वाधिक है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त रियायत मिलती है।

- राज्य सरकार की नीतियों के फलस्वरुप दोनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2022–23 में समेकित रुप में पहली बार 215 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। मुनाफे की राशि वर्ष 2023–24 में बढ़कर 1,274 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2024–25 में बढ़कर **2,004 करोड़** रुपये हो गयी है।

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

- जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत वर्ष 2025–26 में अब तक 3.39 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है। कृषि वानिकी योजना अन्तर्गत कृषकों द्वारा 41.36 लाख पौधों का रोपण अपनी भूमि पर किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री निजी (अन्य प्रजाति) पौधशाला योजना के अन्तर्गत 310 जीविका समूह एवं 240 कृषकों के द्वारा कुल 550 इकाई पौधशाला की स्थापना की जा रही है।

- राज्य स्तरीय 'नागी पक्षी महोत्सव' (जमुई) का माह फरवरी, 2025 में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

- **ईको–टूरिज्म**– रोहतास एवं कैमूर में 'Karamchat Eco-tourism Park and Adventure Hub' के लिए पर्यटन परियोजना की मंजूरी दी गयी है। वैशाली वन प्रमण्डल में अवस्थित बरैला झील का विकास एवं सौर्दयीकरण कार्य किया जा रहा है। नवादा वन प्रमंडल, नवादा के अन्तर्गत खुरी जैव–विविधता पार्क एवं संजीवनी वाटिका पार्क, बुधौल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जमुई वन प्रमंडल, जमुई में गढ़ी प्राकृतिक उद्यान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पूर्णिया वन प्रमंडल अन्तर्गत कटिहार प्रक्षेत्राधीन अवस्थित गोगाबिल झील एवं अभ्यारण्य, मनिहारी, कटिहार का विकास कार्य किया जा रहा है। बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय के तहत कांवर झील (पक्षी आश्रयणी कांवर झील) के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है।

- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के साथ राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु रणनीति तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया है। बिहार सरकार द्वारा तैयार किये गये "Climate-Resilient and Low-Carbon Development Pathway for Bihar" के ड्राफ्ट रिपोर्ट में राज्य के लक्ष्य वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए रोडमैप की रूप–रेखा तैयार की गयी है।

- बिहार राज्य के 06 आर्द्रभूमियों काँवरताल आर्द्रभूमि **(बेगूसराय),** नागी पक्षी आश्रयणी (जमुई), नकटी पक्षी आश्रयणी (जमुई), उदयपुर झील (बेतिया), गोगाबील (कटिहार) एवं गोकुल जलाशय (बक्सर) को रामसर साईट के रूप में घोषित किया गया है।

- राज्य के सभी 8,053 ग्राम पंचायती राज निकायों में तथा 73 शहरी निकायों में जैव–विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

- बिहार में विरासत वृक्षों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण के लिए ''Bihar Heritage Tree App'' की शुरूआत की गयी है। प्रथम चरण में अब तक राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त 15,000 वृक्षों में से विलक्षण गुणों के कुल 1,500 वृक्षों को चिन्हित किया गया है जिनमें 32 वृक्षों को जैव विविधता विरासत वृक्ष घोषित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित कुल 101 स्थलों की पहचान की गयी है जो जैव–विविधता से परिपूर्ण है तथा जैव–विविधता विरासत के रूप में घोषित किये जाने हेतु उपयुक्त है।

- वन प्रमंडल, गया जी के तहत सिलौंजा पार्क का विकास कार्य एवं कंडी नवादा, जैव विविधता पार्क–01 का विकास कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जहानाबाद जिला में अवस्थित बराबर गुफा क्षेत्र का विकास एवं वहाँ पर्यटकीय सुविधाओं हेतु उन्नयन कार्य प्रस्तावित है। कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ के तहत करकटगढ़ ईको पार्क फेज–02 का निर्माण कार्य, जगदहवा बान्ध एवं तेलहर कुंड जलप्रपात का विकास कार्य प्रस्तावित है। मुंगेर वन प्रमंडल अंतर्गत श्रृंगी ऋषि आश्रम में विकास, उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य प्रस्तावित है।

- आगामी वर्ष में कैमूर वन प्रमण्डल में करकटगढ़ वन संपदा केन्द्र–सह–निरीक्षण भवन निर्माण, जमुई, सीतामढ़ी, नवादा, भोजपुर एवं मुंगेर वन प्रमण्डल में पदाधिकारी/कर्मचारी हेतु आवास निर्माण, चहारदिवारी का निर्माण इत्यादि कार्य पूर्ण किया जाना है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पटना, गया जी, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, पूर्णिया, जमुई, सहरसा, बेगूसराय, वैशाली, मुंगेर, कैमूर, बेतिया, सीतामढ़ी, अररिया, मोतिहारी, रोहतास एवं सारण वन प्रमण्डल में अवस्थित पार्क का विकास,उन्नयन एवं रख–रखाव किया जाना प्रस्तावित है। संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में बंद पड़ी टॉय ट्रेन का संचालन हेतु स्वीकृति दी गयी है।

**आपदा प्रबंधन विभाग**

- वर्ष 2025 के बाढ़ के दौरान 9,71,678 बाढ़ प्रभावित परिवारों को आनुग्रहिक राहत के रूप में 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से लगभग 680.17 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान सीधे लाभुकों के बैंक खाते में किया गया।

- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं यथा, सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से हुई दुर्घटना, वज्रपात, आँधी, तूफान आदि के मद्देनजर वर्ष 2025–26 में विभिन्न जिलों को 159.45 करोड़ रुपये उपलब्ध करायी गयी है।

- राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) राज्य मुख्यालय, बिहटा (पटना) के परिसर में 25 एकड़ की भूमि पर 312.30 करोड़ रुपये की लागत से वाहिनी मुख्यालय परिसर में स्थायी आधारभूत संरचनाओं यथा प्रशासनिक–सह–प्रशिक्षण भवन, आवासीय भवन, होस्टल/मेस, एम०टी० ब्लॉक, ऑडिटोरियम, स्टोरेज सुविधा, पी०टी० मैदान, डीप डाईविंग पुल, चहारदिवारी आदि का निर्माण किया गया है।

- राज्य में आपदाओं के दौरान रिस्पौंस से संबंधित गतिविधियों के बेहतर संचालन के साथ–साथ रिस्पौंस टीमों के सुव्यवस्थित प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से राज्य में 38 स्थानों पर District Emergency Response Facility-cum-Training Centre के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है।

**निर्वाचन आयोग**

- भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के मद्देनजर दिनांक 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन दिनांक 01.08.2025 को तथा अंतिम प्रकाशन दिनांक 30.09.2025 को किया गया।

- भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 243 सदस्यों का निर्वाचन अक्टूबर–नवम्बर, 2025 में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इस चुनाव में मतदान प्रतिशत 67.2% रहा जो वर्ष 1951 से अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। इसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.7% रहा है।

**पर्यटन विभाग**

- स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत सोनपुर मेला स्थल (सारण) के विकास हेतु 2,428.59 लाख रूपये की योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रसाद योजना के अन्तर्गत अम्बिका भवानी मंदिर (सारण) में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु 1,319.64 लाख रूपये की योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया है।

- 33 योजनाओं में कार्य प्रारंभ है। इसमें धार्मिक स्थल जैसे पुनौराधाम, महाबोधि केन्द्र एवं पर्यटकीय सुविधाऐं (लेक फ्रंट, पार्किंग, इको पार्क आदि) शामिल हैं। स्वदेश दर्शन 2.0

अन्तर्गत बौद्ध मेडिटेशन सेंटर (गया जी) (165.44 करोड़ रुपये) प्रगति पर है। पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) अंतर्गत मत्स्यगंधा झील (सहरसा) और करमचट इको सेन्टर प्रगति पर है।

- बिहार में PPP मोड पर 2 पाँच–सितारा होटल (5-Star Hotel) राजगीर (नालंदा) में, 1 पाँच–सितारा होटल (5-Star Hotel) वैशाली में और 2 पाँच–सितारा होटल (5-Star Hotel) पटना में निर्माण कार्य / निविदा प्रक्रियाधीन है।
- आज के Social Media युग में राज्य के प्रमुख हस्तियों (Brand Ambassador) तथा Social Media Influencers के लिए विभाग के द्वारा फैमिलियराईजेशन ट्रिप आयोजित किये जा रहे है। इन Social Media Influencers के माध्यम से Tour तथा Travel से जुड़े लाखों followers को बिहार के प्रमुख पर्यटन गंतव्य स्थलों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

**खान एवं भूतत्व विभाग**

- बिहार राज्य में 12 खनिज ब्लॉकों में से 09 सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें 03 ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक की गई है, जिसमें रोहतास जिला में ग्लूकोनाईट के 02 (दो) ब्लॉक एवं गया जी जिला में निकेल–क्रोमियम का 01 (एक) खनिज ब्लॉक शामिल है। साथ ही, बिहार सरकार द्वारा 03 ब्लॉक में से 01 ब्लॉक की नीलामी कराया गया है एवं शेष 02 ब्लॉकों को एकीकृत कर नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त लघु खनिज बालू के लिए राज्य में विभिन्न जिलान्तर्गत कुल 407 बालूघाटों की नीलामी करायी गयी है।
- बालूघाटों पर सतत निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु एकीकृत कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर की स्थापना की गई है तथा सभी संचालित बालूघाटों पर अधिष्ठापित इंटरनेट युक्त कैमरे का वीडियो फुटेज का कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर से विश्लेषण कर कार्रवाई की जाती है।
- अवैध खनन की सूचना देने वाले बिहारी खनन योद्धाओं को ट्रैक्टर के लिए 5,000 रुपये एवं अन्य बड़े वाहनों के लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान अन्तर्गत 59 लाभुकों को कुल 3,25,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया है।

**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

- बिहार निवास, नई दिल्ली के पुनर्विकास कार्य की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बिहार भवन, मुम्बई के निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, बिहार भवन, पुरी (ओडिशा) के निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है।

**संसदीय कार्य विभाग**

- इस विभाग का मुख्य कार्य विधान मण्डल की संयुक्त बैठक एवं अन्य बैठकों का आयोजन कराना/दोनों सदनों की बैठक हेतु कार्यक्रम तैयार करना/विधान मण्डल के प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/निवेदनों/आश्वासनों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु विभागीय परामर्श समितियों का गठन करना तथा उनकी बैठकों का आयोजन करना/विधान मण्डलीय सदस्यों/मंत्रियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना/विधायी कार्यों के सन्दर्भ में अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना इत्यादि है।

**सिविल विमानन विभाग**

- दरभंगा हवाई अड्डा को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने हेतु 89.75 एकड़ भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु 244.60 करोड़ रुपये तथा दरभंगा हवाई अड्डा पर रनवे एक्सटेंशन एवं सिविल इन्क्लेव के निर्माण कार्य हेतु अवशेष 5.79 करोड़ रुपये का भुगतान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को किया गया है।

- दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण होने से मिथिला एवं उत्तर बिहार के कृषि एवं कृषि–आधारित उत्पादों के एयर कार्गो परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा आर्थिक विकास एवं समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

- बिहटा एयरपोर्ट पर सिविल इनक्लेव निर्माण हेतु कुल 10.67 करोड़ रुपये समाहर्त्ता, पटना को उपलब्ध कराया गया है।

- सितंबर 2025 से संचालित पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल एन्क्लेव के लिये आधारभूत संरचना हेतु अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु पुनरीक्षित 22.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

- रक्सौल हवाई अड्डा के विकास हेतु अतिरिक्त 139 एकड़ भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु 207.70 करोड़ रुपये का भुगतान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण को किया गया है।

- सुपौल हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु 42.37 करोड़ रुपये का भुगतान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को किया गया है।

- मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा (19 सीटर) का पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन किये जाने हेतु 2.43 करोड़ रुपये का भुगतान एवं मोतिहारी, छपरा एवं भागलपुर हवाई अड्डा (19 सीटर) का पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन हेतु 1.21 करोड़ रुपये का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को किया गया है।

- बेगूसराय अवस्थित उलाव हवाई अड्डा एवं गोपालगंज अवस्थित सबेया सैन्य हवाई अड्डा का पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन हेतु 81.05 लाख रुपये का भुगतान एवं भागलपुर (सुल्तानगंज), बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा का OLS सर्वेक्षण कार्य हेतु 2.90 करोड़ रुपये का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को किया गया है।
- सुल्तानगंज (भागलपुर) ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु 931 एकड़ भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु 472.72 करोड़ रुपये के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।
- सहरसा हवाई अड्डा के रनवे विस्तार हेतु अतिरिक्त लगभग 12 एकड़ भूमि अधिग्रहण किये जाने के एवज में लगभग 147 करोड़ रुपये के भुगतान एवं दरभंगा में लौजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के निर्माण हेतु लगभग 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग 138 करोड़ रुपये के भुगतान तथा सारण जिलान्तर्गत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, सोनपुर की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना हेतु कुल चिन्हित लगभग 4,228 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि लगभग 1,302 करोड़ रुपये के भुगतान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

**गृह विभाग**

- **नियुक्ति**– गृह विभाग अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न पदों पर 37,931 नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है एवं 26,859 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। साथ ही, आगामी वित्तीय वर्ष में 25,134 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है।
- **थानों का सृजन एवं क्षेत्राधिकार निर्धारण**– आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने, विधि व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में अधिसूचित/गैर अधिसूचित किन्तु कार्यरत राज्य के 260 ओ0पी0 का थाना के रूप में एवं 24 रेल पी0पी0 को रेल थाना के रूप में उत्क्रमित किया गया है। साथ ही, 44 नया साईबर थाना तथा 28 यातायात थानों का सृजन किया गया है।
- **पुलिस भवनों का निर्माण**– वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न जिलान्तर्गत थाना भवनों, एस0सी0/एस0टी0 थाना, नक्सल थाना, मॉडल थाना, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय–सह–आवास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय–सह–आवास, महिला एवं पुरूष बैरक, थाना परिसर में एल0एस0 एवं यू0एस0 आवास इत्यादि के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। पटना जिलान्तर्गत **'आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली' (ERSS)** भवन, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के भवन, साईबर अपराध इकाई तथा विशेष शाखा के लिए भवन तथा आई0पी0एस0 मेस के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

- पुलिस तथा अन्य भवनों के निर्माण मद में गर्दनीबाग में बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के कार्यालय भवन (G+4) के निर्माण कार्य हेतु 22.98 करोड़ रुपये एवं लोदीपुर, पटना में विशेष कार्य बल (STF) के मुख्यालय भवन निर्माण हेतु 63.11 रुपये करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- **CCTNS परियोजना**– वर्त्तमान में बिहार राज्य में कुल 968 पुलिस थाना/ओ0पी0 CCTNS से आच्छादित हैं तथा शेष 343 थानों/ओ0पी0 को NCRB द्वारा विकसित CCTNS Core Application (CAS) Sofware के माध्यम से आच्छादित करने की कार्रवाई की जा रही है। Citizen Services Portal के माध्यम से नागरिको के द्वारा पुलिस से संबंधित 15 विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- Crime Multi Agency Centre (Cri-MAC) पोर्टल का क्रियान्वयन बिहार राज्य में किया गया है। इस पोर्टल पर सभी थानों के द्वारा प्रविष्टि की जा रही है। इसके माध्यम से बिहार राज्य में दर्ज जीरो FIR को अन्य संबंधित राज्यों को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें भाषा परिवर्तन की भी सुविधा दी गयी है।

- 'आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली' (ERSS) में अब तक 51 लाख से अधिक लोगों को आपातकालीन सेवायें पहुँचायी जा चुकी है। प्रतिदिन करीब 6,000 लोगों को सेवा प्रदान की जा रही है। इस वर्ष 15 दिसम्बर, 2025 तक 20,59,196 से अधिक लोगों को सेवाएँ दी गयी है जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, आपराधिक घटना, अग्निकांड, सड़क दुर्घटना एवं ट्रैफिक समस्या एवं मद्य निषेध के मामले शामिल हैं। 'सुरक्षित सफर सुविधा' राज्य की महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु माह सितम्बर, 2024 से प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचाना है। यह सुविधा प्रारंभ करने वाला **बिहार देश का तीसरा राज्य** है। इस सुविधा के अन्तर्गत महिलाएँ अपनी जानकारी **डायल–112** के साथ साझा कर सुरक्षित गंतव्य तक पहुँच सकती हैं। इसमें उन पर तकनीकी रूप से नजर रखी जाती है तथा आपात स्थिति में अथवा आवश्यकतानुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन (ERV) भेजकर सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

- **डायल 112 पर प्राप्त होने वाले शिकायतों का विवरण**– राज्य में घरेलू हिंसा, महिला अपराध व बच्चों से जुड़े 4,30,554 से अधिक मामलों में त्वरित सहायता दी गयी। स्थानीय विवाद, मारपीट व हिंसात्मक झड़प के 26,39,115 से अधिक मामलों में सहायता उपलब्ध करायी गयी। सड़क दुर्घटना के 2,18,408 से अधिक मामलों में घायलों को तत्काल मदद पहुँचाकर जान बचाई गई। आगलगी के 1,22,866 मामलों में घटनास्थल पर तुरंत फायर

ब्रिगेड की टीम भेजकर जान माल की सुरक्षा की गयी। अन्य 16,89,057 मामलों में त्वरित सहायता दी गयी। त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप राज्य में वर्ष 2025 में विगत वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.39 प्रतिशत, महिलाओं के विरूद्ध अपराध में 9 प्रतिशत, चोरी में 5.93 प्रतिशत एवं दंगा में 15.82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है।

- **भावी कार्यक्रम**— पटना एवं अन्य मेट्रो, औद्योगिक क्षेत्रों, प्रस्तावित नये हवाई अड्डों के सुरक्षार्थ प्रस्तावित बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन (SISF-3) की स्थापना हेतु नवादा में भूमि का हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन (SISF-4) की स्थापना हेतु मोतिहारी/बेतिया जिला में भूमि का हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–16 के लिए मोकामा में, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–18 के लिए बेतिया राज की भूमि, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–14 के लिए छपरा में एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–15 के लिए भागलपुर में भूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बेतिया में प्रस्तावित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय एवं पुलिस केन्द्र सहरसा के लिए भूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- **विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL)**— राज्य में 9 अतिरिक्त क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु प्रदत्त स्वीकृति के तहत कुल 5 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के ऑफ कैम्पस स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- **सैनिक कल्याण अंतर्गत अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी**— वर्त्तमान में सशस्त्र सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीद पदाधिकारियों/कर्मियों के निकटतम आश्रित को दी जा रही अनुग्रह अनुदान राशि 11 लाख रूपये से बढ़ाकर 21 लाख रूपये की गयी है।
- **ऑपरेशन सिन्दूर** में शहीद होने वाले सशस्त्र सेना एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के निकटतम आश्रित को 50 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
- **कब्रिस्तानों की घेराबंदी**— चयनित 9,273 कब्रिस्तानों में से अब तक 8,921 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी पूर्ण एवं 63 निर्माणाधीन है।
- **मंदिर चहारदीवारी**— इस योजना अन्तर्गत कुल 708 स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध 551 मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

**सामान्य प्रशासन विभाग**

- राज्य की महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गयी है। सचिवालय के विभागों एवं अधिकारियों के कार्यो को स्पष्ट और सुव्यवस्थित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया

है। बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गो के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य किया गया है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), बोधगया के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) एवं क्रियान्वयन किया गया है।

- बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है।
- माह अप्रैल, 2025 से अब तक राज्याधीन विभिन्न पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को 19,213, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 37,076, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को 47,098, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को 2,718, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को 2,212, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को 2,843 एवं केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) को 30,815 अर्थात कुल 1,41,975 पदों की अधियाचना भेजी गयी।
- माह अप्रैल, 2025 से अब तक सरकारी क्षेत्र में 16,086 पुरुष, 22,627 महिला कुल 38,713 नियमित नियुक्ति तथा 5,375 संविदा नियोजन किया गया है। इस प्रकार, इन आयोगों/संस्थानों द्वारा अब तक कुल 44,088 सरकारी क्षेत्र में रोजगार का सृजन किया गया है।

**निगरानी विभाग**

- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 01.01.2025 से 11.12.2025 तक ट्रैप से संबंधित 88 काण्ड, प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित 14 काण्ड एवं पद के भ्रष्ट दुरुपयोग से संबंधित 06 काण्ड सहित कुल 108 काण्ड दर्ज किये गये।
- विशेष निगरानी इकाई द्वारा वर्ष 2025 में (दिनांक 15.11.2025 तक) 23 काण्ड दर्ज किये गये हैं, जिसमें 12 काण्ड ट्रैप से एवं 11 काण्ड आय से अधिक सम्पत्ति से संबंधित है।

**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

- 'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग नियंत्रित 56,447 वार्डों के 10,719 छूटे हुए टोलों/बसावटों में 4,706.18 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल की व्यवस्था हेतु 9,551 जलापूर्ति योजना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इनमें से 4,110 योजनाओं को पूरा कर 7.07 लाख परिवारों को नियमित जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गयी है।
- 'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग नियंत्रित 58,003 वार्डों के 16,124 छूटे हुए टोलों/बसावटों में 3,611.33 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल की व्यवस्था हेतु 14,132 जलापूर्ति योजना का निर्माण पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इनमें से 1,141 योजनाओं को पूरा कर 3.24 लाख परिवारों को नियमित जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गयी है।

- विभाग द्वारा Zero Office Day की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रत्येक सप्ताह सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा योजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन Mobile Peyjal App के माध्यम से प्रतिवेदित किया जाता है। इसके साथ ही, जिला प्रशासन के द्वारा अभियान चलाकर 1,38,591 'हर घर नल का जल' योजनाओं का सर्वेक्षण कराया गया है। अभियान के तहत बन्द पाये गए योजनाओं की मरम्मति कराकर चालू कराया गया है।

- राज्य के ग्रामीण वार्डों में सर्वेक्षणोपरान्त छूटे हुए टोलों के लिए स्वीकृत 27,693 जलापूर्ति योजनाओं में से 4,010 नई योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया जायेगा और 18,432 निर्माणाधीन योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा, जिसके तहत 16.14 लाख घरों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

## विधि विभाग

- पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर में विभिन्न बहुमंजिला भवनों यथा प्रशासनिक एवं आई0टी0 भवन, ऑडीटोरियम एवं ADR भवन, मल्टी लेबल कार पार्किंग भवन, टाईप 'बी' आवासीय भवन, टाईप 'सी' एवं 'डी' आवासीय भवन, हाई साईड सर्विस भवन आदि के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- विभिन्न व्यवहार न्यायालय हेतु जजेज आवास, कोर्ट भवन एवं एमिनिटी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है एवं कई स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।

- विभिन्न न्यायालय कॉम्पलेक्स एवं आवासीय क्वार्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

## वाणिज्य–कर विभाग

- राजस्व संग्रहण में अभिवृद्धि के साथ–साथ उत्कृष्ट एवं पारदर्शी कर–प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में विभाग निरंतर प्रयत्नशील है। इस हेतु बड़े अंचलों को विभाजित कर 9 नए अंचल बनाए गए हैं। करदाताओं की शिकायतों के ससमय और त्वरित निष्पादन के लिए क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर करदाता शिकायत निवारण अभियान प्रारंभ किया गया है।

- सितम्बर, 2025 से जीएसटी 2.0 Generation Reforms को लागू करने में बिहार राज्य की अग्रणी भूमिका रही है। जीएसटी के अंतर्गत 99% से ज्यादा माल एवं सेवाएं अब या तो कर मुक्त श्रेणी में हैं या 5% एवं 18% के स्लैब में आ गई हैं। 12% एवं 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी प्रणाली में मुख्य रुप से दो कर–दर ही रह गए हैं, जिससे इस प्रणाली में और सरलता आयी है।

- **Ease of Doing Business** को बढ़ावा देने हेतु छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए तीन दिनों के अंदर स्वतः निबंधन की व्यवस्था लागू की गयी है।

- जीएसटी के अन्तर्गत अंकेक्षण प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए विभाग द्वारा तैयार किए गए ''ऑडिट मैनुअल'' को राष्ट्रीय स्तर पर जी0एस0टी0 परिषद् के द्वारा सराहते हुए "Good Practices by State" के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

**योजना एवं विकास विभाग**

- मौसम संबंधित आपदाओं यथा–वज्रपात, आँधी, अतिवृष्टि, लू, शीतलहर, कोहरा आदि मौसम संबंधित आपदाओं का क्षेत्रवार पूर्व चेतावनी देने हेतु एक Multi Hazard Early Warning System को बिहार मौसम सेवा केन्द्र द्वारा विकसित किया जा रहा है।

- अब तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय एवं नगरीय क्षेत्र में स्वचालित मौसम केन्द्र एवं 33 जिलों के ग्राम पंचायतों में स्वचालित वर्षा मापी यंत्र अधिष्ठापित कराये गये हैं जिससे संबंधित आंकड़े सीधे बिहार मौसम सेवा केन्द्र के सर्वर पर प्राप्त हो रहे हैं।

- सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व से संचालित **''मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना''** के प्रावधानों में आंशिक संशोधन यथा लाभुकों के शैक्षणिक योग्यता में स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों से) उत्तीर्ण को भी शामिल किया गया है। यह प्रावधान 2 अक्टूबर, 2025 से लागू है।

- राज्य के 50 करोड़ रुपये से बड़ी परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु ''State PMG Portal'' विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 392 परियोजनाओं का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा रहा है।

- Vision Document "Viksit Bihar@2047", Transforming Rural India Foundation (TRIF) के सहयोग से बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है।

- बिहार के नीति निर्माण और निगरानी को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और डेटा–संचालित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, योजना एवं विकास विभाग, बिहार के मुख्यालय में **''विकसित बिहार स्ट्रेटेजी रुम''** अधिष्ठापित किया गया है।''विकसित बिहार स्ट्रेटेजी रुम'' नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा विकसित मॉडल की तर्ज पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी विभागों एवं योजनाओं से जुड़ी जानकारी को एक क्लिक में एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।

- स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा 186 ई–किसान भवन, 3,893 कब्रिस्तानों की घेराबंदी, 1,171 सामुदायिक भवन, 538 मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण एवं बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत 293 पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- वर्तमान मूल्य (Current Price) पर वर्ष 2024–25 का प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल

राज्य घरेलू उत्पाद Per Capita NSDP) अनुमान 69,321 रुपये है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 11.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं।

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

- **परिमार्जन प्लस**– डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजियों में कतिपय अशुद्धियों यथा रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान इत्यादि त्रुटियों के सुधार के लिए कुल प्राप्त 24,32,628 शिकायतों में से 20,83,118 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा डिजिटाईज्ड जमाबंदी में छूटे हुए जमाबंदी के लिए कुल प्राप्त 11,78,893 शिकायतों में से 9,44,496 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है एवं दोनों माध्यम से प्राप्त अवशेष शिकायत निष्पादन की प्रक्रिया में है।

- **राजस्व महा–अभियान**– डिजिटाइज्ड जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों के त्वरित निराकरण करने, खाता, खेसरा, रकबा, नाम आदि में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों के आनॅलाइन करने एवं उत्तराधिकार नामांतरण (Inheritance Mutation) अथवा संयुक्त संपत्ति के बँटवारे की स्थिति में नामांतरण की कार्रवाई हेतु दिनांक–16.08.2025 से 20.09.2025 तक राजस्व महा–अभियान का आयोजन किया गया।

- **भूमि–सुधार जनकल्याण संवाद**– बिहार सरकार के सौ दिनों के कार्य योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें रैयतों की समस्याओं का पदाधिकारियों/राजस्व कर्मचारियों के साथ त्वरित समाधान किया जाता है।

- **विशेष सर्वेक्षण**– भूमि विवादों को खत्म करने के लिए भूमि सर्वेक्षण बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रथम चरण में 20 जिलों में शुरू सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में है। दूसरे चरण में शेष 18 जिलों में भी सर्वेक्षण का काम आरंभ है।

- **राजस्व अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन**– विभिन्न राजस्व अभिलेख यथा–राजस्व मानचित्र, खतियान इत्यादि का स्कैनिंग कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। जमाबंदी पंजी के डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित है। शेष महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

- **Continuous Operating Reference Station (CORS) की स्थापना**– वर्तमान में क्रियान्वित बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम से प्राप्त ऑर्थोफोटोग्राफ डाटा के सत्यापन तथा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के स्थल सत्यापन एवं भू–स्थानिक शुद्धता की दृष्टि से राज्य भर में

**Continuous Operating Reference Station (CORS)** के कुल 35 सेंटर स्थापित करने हेतु योजना की स्वीकृति दी गयी है।

- **भू–अर्जन अंतर्गत** विभिन्न परियोजनाएँ यथा, 20 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण हेतु 13000 एकड़, विक्रमशिला विश्वविद्यालय परियोजना हेतु 210 एकड़, सीतामढ़ी–शिवहर नई रेल लाईन हेतु 400 एकड़ आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च पथ (एन0एच0) की विभिन्न परियोजनाओं यथा भारतमाला/एक्सप्रेसवे/ग्रीनफिल्ड परियोजनाओं एवं जिला स्तर पर भी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय एवं पदाधिकारियों/कर्मियों के आवास हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई विभिन्न जिलों द्वारा की गई है।

- **अंचल का पुनर्गठन**– पटना सदर अंचल को विभाजित कर 4 (चार) अंचलों यथा–पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल को सृजित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

- **मेला**– राज्यान्तर्गत पारम्परिक मेलों के विकास एवं संवर्द्धन हेतु अब तक कुल 26 मेलों को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला, महनार, वैशाली/चैती दुर्गा पूजा मेला, महद्दीपुर, खगड़िया/बाबा सुन्दरनाथ धाम (सुन्दरी मठ) मंदिर मेला, अररिया/बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर परिसर में आयोजित मेला, मुजफ्फरपुर/सीताकुण्ड मेला, मुंगेर को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में सम्मिलित किया गया है।

**मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग**

- नीरा का उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने एवं आय सृजन के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत ताड़ छेवकों तथा ताड़ पेड़ मालिकों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

- शराब और ताड़ी के परंपरागत व्यवसाय में लगे परिवारों के लिये मद्यनिषेध लागू होने के उपरान्त सतत् जीविकोपार्जन योजना लागू की गई है।

- सभी निबंधन कार्यालयों में नया सॉफ्टवेयर ई–निबंधन के समस्त मॉड्यूल को लागू किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम जन को दस्तावेज/विवाह और फर्म/सोसाईटी के निबंधन हेतु घर बैठे कहीं से भी ऑनलाईन आवेदन की सुविधा प्राप्त है। साथ ही साथ, ऋण अवभार प्रमाण पत्र, अभिप्रमाणित प्रति का आवेदन करने एवं डाउनलोड करने की ऑनलाईन सुविधा एवं ऑनलाईन आवेदन की स्थिति की सटीक एवं त्वरित जानकारी प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई है।

- सुरक्षा एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से सभी निबंधन कार्यालयों सहित कुल 150 कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित किया गया है जिसके अनुश्रवण के लिए मुख्यालय स्तर पर कमांड एवं कंट्रोल सेन्टर स्थापित किया गया है।

**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत वर्तमान में 8.51 करोड लाभुकों को 4.06 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है, जिसके तहत अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के प्रत्येक लाभुकों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है।

- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था वर्ष 2025–26 में राज्य के पंजीकृत किसानों से धान की अधिप्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के आधार पर धान (साधारण) 2,369 रूपये प्रति क्विंटल एवं धान (ग्रेड–ए) 2,389 रूपये प्रति क्विंटल) पर किये जाने हेतु कार्यरत पैक्स तथा व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति अभिकरण नियुक्त किया गया है। खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2025–26 में राज्य अंतर्गत किसानों से धान खरीद का लक्ष्य 36.85 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2025–26 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाये जाने हेतु पूरी अधिप्राप्ति व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत करते हुए धान/चावल की अधिप्राप्ति की जा रही है। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम वर्ष 2026–27 हेतु गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 160 रूपये बढ़ा कर 2,585 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। राज्य अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति मार्च 2026 से संभावित है।

- राज्य खाद्य निगम की भंडारण क्षमता, अभिवृद्धि का लक्ष्य एवं उपलब्धि– वित्तीय वर्ष 2025–26 में नया गोदाम निर्माण हेतु चतुर्थ कृषि रोडमैप (वर्ष 2023–2028) के अन्तर्गत पाँच वर्षो के लिए भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी ढ़ंग से संचालित करने के लिए राज्य को आगामी कुछ वर्षो में भंडारण क्षमता को कम से कम 20 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत 27,000 मीट्रिक टन क्षमता के नये गोदाम का निर्माण किया जा चुका है वर्ष 2025–26 के लिए 4 लाख मीट्रिक टन क्षमता के भंडारण वृद्धि का लक्ष्य निधारित है।

**वित्त विभाग**

- वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) का नया वर्जन CFMS 2.0 दिनांक 01.01.2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

- RMS- राज्य का समस्त कर राजस्व एवं शुल्क की राशि Online प्राप्त करने हेतु O-GRAS को संवर्द्धित कर CFMS अन्तर्गत Revenue Management System (RMS) लागू किया गया है। इसके माध्यम से आमजन कहीं से भी ऑनलाईन शुल्कादि का भुगतान कर सकते हैं।

- SNA-SPARSH- केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु SNA-SPARSH (समायोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण– Real Time System of Integrated Quick Transfer) प्रणाली को जनवरी, 2025 से लागू किया गया है। इसके तहत RBI ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से धनराशि ''Just-in-Time'' पर लाभुकों के खाते में भुगतान किया जा रहा है।

- MSME के अंतर्गत वर्ष 2025–26 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 2025 तक) में 1,19,000 करोड़ रूपये लक्ष्य के विरूद्ध 61,175 करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं जो कि वार्षिक लक्ष्य का 51.41 प्रतिशत है।

- राज्य में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों को सुगम बनाने एवं CSR निधि के संचालन हेतु बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी का गठन किया गया है।

- राज्य सरकार के वित्तीय उपलब्धता को सुगम बनाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनियों आदि द्वारा राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण लेने हेतु प्रत्याभूति मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) का गठन किया गया है।

- सभी प्रकार के ऋणों के शोधन हेतु बिहार निक्षेप निधि का गठन किया गया है।

- राजकीय प्रेस के आधुनिकीकरण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

- राज्यकर्मियों एवं संविदा कर्मियों के वेतन खाता (Salary Account) अंतर्गत अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न बैंको के साथ सैलरी पैकेज के संदर्भ में समझौता ज्ञापन किया गया है।

- **बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान (BIPFP)** को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

**माननीय अध्यक्ष महोदय,**

मैंने पूर्व में सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वित्तीय वर्ष 2025–26 के पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

**आय–व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण**

| क्र.सं. | विवरण | वर्ष 2025–26 का बजट पुनरीक्षित प्राक्कलन (करोड़ रुपये) | वर्ष 2026–27 का बजट प्राक्कलन (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल राजस्व प्राप्ति | 265567.80 | 285277.12 |
| 2 | राज्य सरकार का राजस्व | 67740.57 | 75202.99 |
| 3 | संघीय करों में राज्य का हिस्सा | 143069.43 | 158178.32 |
| 4 | केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान | 54757.80 | 51895.81 |
| 5 | राजस्व व्यय | 341883.26 | 284133.92 |
| 6 | राजस्व बचत(–)/घाटा(+) | 76315.46 | –1143.19 |
| 7 | पूंजीगत प्राप्ति | 64263.19 | 62475.49 |
| 8 | पूंजीगत व्यय | 81401.23 | 63455.84 |
| 9 | कुल प्राप्ति | 329830.99 | 347752.61 |
| 10 | कुल व्यय | 423284.48 | 347589.76 |
| 11 | राजकोषीय घाटा | 134371.41 | 39111.80 |

**समेकित निधि में राशि**– वित्तीय वर्ष 2026–27 में सकल (Gross) व्यय 3,53,045.15 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसमें निवल (Net) व्यय 3,47,589.76 करोड़ रुपये है। विदित है कि विनियोग विधेयक में सकल (Gross) व्यय प्रस्तावित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में सकल व्यय 3,53,045.15 करोड़ रुपये में मतदेय राशि 3,02,242.13 करोड़ रुपये एवं भारित राशि 50,803.02 करोड़ रुपये है।

**समेकित निधि में भारित राशि**– वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में 50,803.02 करोड़ रुपये भारित मद में व्यय होना प्रस्तावित है, जिसमें सूद मद में 25,363.68 करोड़ रुपये, लोक ऋण की मूलधन वापसी में 22,664.83 करोड़ रुपये, निक्षेप निधि में 2,000.10 करोड़ रुपये, प्रत्याभूति मोचन निधि में 200.05 करोड़ रुपये, माननीय उच्च न्यायालय के व्यय हेतु 347.32 करोड़ रुपये, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 125.98 करोड़ रुपये, राज्यपाल सचिवालय हेतु 60.80 करोड़ रुपये, लोकायुक्त के लिए 7.87 करोड़ रुपये, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के

सभापति / उप सभापति के वेतन एवं भत्ते मद हेतु 2.24 करोड़ रुपये एवं माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों के सेवा निवृति लाभ मद में 30.15 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

**राजकोषीय घाटा**— राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये गये है। वर्ष 2026—27 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2026—27 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2026—27 में राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत है।

**अध्यक्ष महोदय,**

माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता से सुना है। इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं वर्ष 2026—27 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष उपस्थापित कर रहा हूँ।

***********

बिहार सरकार

# वित्त विभाग
# बिहार सरकार